



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273771
CG-DL-E-23062026-273771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 460]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

सा.का.नि. 511(अ).— दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 का प्रारूप दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप धारा(1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 614(अ) तारीख 10 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 12 सितंबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं:

और उक्त अवधि को 21 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था, और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उस अवधि में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है:

अब, अतः, केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (क) और उप धारा (6) के साथ पठित धारा 56 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है।
- (ख) "कैप्टिव जनरल सेवा" से नियम 58 में निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत हैं;
- (ग) "कैप्टिव जनरल सेवा प्राधिकार" से कैप्टिव सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (घ) "कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा" से कैप्टिव उपयोग के लिए एक प्रकार की भूमि मोबाइल सेवा अभिप्रेत है जो एक पुनरावर्तक केंद्र को सौंपे गए अभिहित स्पेक्ट्रम बैंड से कॉल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से आवंटित रेडियो आवृत्ति की एक जोड़ी का उपयोग करके उपयोक्ताओं के बीच द्विस्तरीय दूरसंचार को सक्षम बनाती है और "कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा नेटवर्क" पद को तदनुसार समझा जाएगा;
- (ङ) "कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्राधिकार" से कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (च) "कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार" से कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (छ) "कैप्टिव दूरसंचार सेवा" से नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है;
- (ज) "कैप्टिव वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा" से नियम 50 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है;
- (झ) "कैप्टिव वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार" से कैप्टिव वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "अभिहित अभिकरण" से केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे नियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अधीन वह अभिहित किया गया है;
- (ट) "आशय पत्र" से नियम 7 के उप नियम (2) के अधीन जारी पत्र अभिप्रेत है।
- (ठ) "नई प्राधिकृत इकाई" से ऐसी प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है जिसने-
- (i) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त किया है; या
- (ii) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (6) के अधीन प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों में स्थानान्तरित किया गया है;

- (ड) "अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार" से आवेदक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति या प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका विस्तार और सेवा क्षेत्र प्राधिकार के विस्तार और सेवा क्षेत्र के भीतर पूर्णतः समाविष्ट है, जिसके संबंध में नियम 6 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है;
- (ढ) "पोर्टल" से नियम 62 में निर्दिष्ट पोर्टल अभिप्रेत है;
- (ण) "अनुसूची" से इन नियमों के अधीन उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है; तथा
- (त) "सेवा क्षेत्र" से ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके संबंध में दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है, जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र या राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर एक भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और इनमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम या उक्त नियमों में हैं।

3. लागू होना-(1) ये नियम प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करते हैं, जो निम्नलिखित पर लागू होंगे, अर्थात्: -

- (क) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन कैप्टिव दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकार; तथा
- (ख) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (6) के अधीन उन निबंधनों और शर्तों के लिए सुसंगत प्राधिकार जिनमें से एक नई प्राधिकृत इकाई स्थानांतरित हो गई है।

(2) उप नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकार अधिनियम, 1997 (1997 का 24), उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में लागू होते रहेंगे।

अध्याय 2

कैप्टिव दूरसंचार सेवा और प्राधिकार प्रदान करना

4. कैप्टिव दूरसंचार सेवा- कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी दूरसंचार सेवाएं, जिसे इसमें इसके पश्चात् कैप्टिव दूरसंचार सेवा कहा गया है, प्रदान करने का आशय रखता है उसके लिए विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र के संबंध में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए नियम 6 के अधीन केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा, अर्थात्: -

- (क) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवाएं; या
- (ख) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क; या
- (ग) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए कैप्टिव वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवाएं; या
- (घ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए कैप्टिव सामान्य सेवाएं।

5. पात्रता- खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शर्त को भी पूरा करता है, नियम 6 के अधीन प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, अर्थात्:-

(क) यह एक कंपनी है-

- (i) जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और लागू विधि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति के अनुरूप हो; और
- (ii) जिसका सामान्य चरित्र दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने में अपने ट्रैक रिकॉर्ड के संदर्भ में गंभीर है;

(ख) यह है-

- (i) केंद्रीय सरकार का विभाग,
- (ii) राज्य सरकार का विभाग,
- (iii) विधायी निकाय या इसके कार्यालय,
- (iv) न्यायालय;
- (v) किसी भी अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों या ऐसे प्रशासन के किसी अभिकरण या स्वशासी संगठन का प्रशासन; या
- (vi) अन्य सरकार-नियंत्रित इकाई;

(ग) इसका कोई लंबित देय नहीं है:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है, तो यह कोई प्राइवेट सीमित कंपनी या सरकारी कंपनी से भिन्न कोई कंपनी नहीं होगी:

परन्तु यह और कि केंद्रीय सरकार का, यदि यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो इस नियम के अधीन किसी भी शर्त को छूट या शिथिल कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद—

(क) "न्यायालय" का अर्थ है-

- (i) विधि का न्यायालय; तथा
- (ii) भारत के समग्र या किसी भी भाग में संविधान या तत्समय लागू प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या संविधान के अधीन स्थापित अन्य न्यायनिर्णायक निकाय और इसमें रजिस्ट्री, सचिवालय या कार्यालय सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में है;

(ग) "अन्य सरकार नियंत्रित इकाई" से ऐसा निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो केंद्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार के विभाग के समग्र नियंत्रण में है, अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं-

- (i) एक स्वशासी निकाय; तथा
- (ii) एक गैर-लाभकारी सरकारी कंपनी।

6. प्राधिकार के लिए आवेदन--(1) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर ऐसे प्रारूप और रीति से ऐसे दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न होंगे -

- (क) अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट एक अप्रतिदेय प्रसंस्करण फीस; तथा
- (ख) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियुक्त उसके लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रमाण पत्र, ऐसे प्रारूप में जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे, यह प्रमाणित करते हुए कि यह नियम 5 के अधीन पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

(3) यदि आवेदक के पास कोई अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार है, तो वह इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार को छोड़ देगा।

(4) यदि नियम 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट लंबित देय, चल रही विधिक कार्यवाही के अधीन है जिसमें ऐसे देय के भुगतान को रोकने वाला एक न्यायिक आदेश है, तो आवेदक-

(क) उन शर्तों का अनुपालन करेगा जो ऐसे आदेश में अधिरोपित हो सकेगी; और

(ख) ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन, उस पर ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करें,

और अपने आवेदन के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा—जो उस प्रपत्र में होगा जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है—और जो इस उप-नियम के अनुपालन को प्रमाणित करेगा।

(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कोई आवेदन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए जारी किया गया कोई भी आशय पत्र, जो इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन जारी किया गया हो, समाप्त हो जाएगा यदि ऐसे आवेदन या आशय पत्र के अनुसरण में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञप्ति इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पहले जारी न किया गया हो।

(6) कोई आवेदक जिसके पास उप नियम (5) के अधीन आशय पत्र समाप्त हो गया है, उप नियम (1) के अधीन प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह कि ऐसे आशय पत्र के अनुसरण में भुगतान किए गए किसी भी अप्रतिदेय प्रसंस्करण फीस या प्रवेश फीस या बैंक प्रत्याभूति को इन नियमों के अधीन किसी भी प्रसंस्करण फीस या प्रवेश फीस के भुगतान या प्रत्याभूति के रूप में किसी भी अपेक्षा को यद्यपि कमी की सीमा तक फीस या प्रत्याभूति का भुगतान या प्रस्तुत करते समय, यदि कोई हो, तो पहले संदत्त की गई या जमा की गई रकम को समायोजित करने के पश्चात् पूरा करने के लिए मानी जा सकती है।

7. प्राधिकार प्रदान करना—(1) नियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच कर सकेगी जो वह आवेदक की पात्रता के संबंध में उचित समझे और इस प्रयोजन के लिए आवेदक से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जिसकी वह मांग करे।

(2) केन्द्रीय सरकार, -

(क) यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पात्र है, तो पोर्टल के माध्यम से ऐसे आवेदक को एक आशय पत्र जारी करेगी, जिसमें प्राधिकार प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसमें सम्मिलित हैं-

(i) यथास्थिति प्रवेश फीस का भुगतान और अनुसूची में विनिर्दिष्ट रकम के ऐसे प्राधिकार के लिए या नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार रकम के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करना; तथा

(ii) प्राधिकार की प्रभावी तारीख से अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार, यदि कोई हो, को छोड़कर, ऐसे प्रारूप और रीति में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय वचन-पत्र प्रस्तुत करना, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे:

परंतु जिसके अंतर्गत पुलिस, अग्निशमन या सरकारी सुरक्षा सेवाओं सहित कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवाओं के संबंध में प्राधिकार की मांग करने वाले आवेदक या कैप्टिव वैरी स्मॉल एपचर टर्मिनल सेवा के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की मांग करने वाले केंद्रीय सरकार के किसी भी विभाग को खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन किसी भी प्रत्याभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट दी जाएगी; या

(ख) आवेदन अस्वीकार करेगी।

(3) आशय पत्र में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं आवेदक द्वारा पूरी करने के समाधान होने पर, केंद्रीय सरकार पोर्टल के माध्यम से प्राधिकार प्रदान कर सकेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, -

(क) इसका विस्तार;

(ख) सेवा क्षेत्र और वह अवधि जिसके लिए प्राधिकार प्रदान किया जाता है; तथा

(ग) प्राधिकार की प्रभावी तारीख:

परंतु -

(i) केंद्रीय सरकार, कैप्टिव वैरी स्मॉल एपचर टर्मिनल सेवाओं के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदनों के संबंध में, प्राधिकार प्रदान करने से पहले उपग्रह नेटवर्क अनापत्ति के लिए उत्तरदायी समुचित प्राधिकारी के माध्यम से सुरक्षा जांच कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे; तथा

(ii) कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क और कैप्टिव सामान्य सेवाओं के लिए प्राधिकार पात्र आवेदकों को बिना किसी पूर्व आशय पत्र जारी किए प्रदान किए जाएंगे।

(4) इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक प्राधिकार गैर-अनन्य आधार पर होगा और समान कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्राधिकार केंद्रीय सरकार द्वारा उसी या अन्य सेवा क्षेत्रों के भीतर नई प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर किसी निर्बंधन के बिना प्रदान किए जा सकते हैं।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जिसे इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रदान किया जा चुका है, लागू विधि के अधीन समनुदेशन के लिए किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन स्पेक्ट्रम के समनुदेशन के लिए आवेदन कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रदान करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी नई प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम के समनुदेशन या उपयोग के लिए कोई अधिकार प्रदान करता है।

8. अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई को कोई अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार रखने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार का परित्याग, यदि कोई हो, ऐसी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी, यथास्थिति, अधिकार और दायित्वों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा और विशिष्टतया, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात्:-

(क) रोल आउट बाध्यताओं और कोई अन्य सुसंगत बाध्यताओं या दायित्वों जिसके अंतर्गत वित्तीय बकाया, उल्लंघनों का निर्धारण और उसके शास्तियों का अधिरोपण, यदि कोई हो, जो ऐसी अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से सहयुक्त हैं, त्याग के बाद भी इसके, यथास्थिति, निबंधनों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगे; तथा

(ख) ऐसी अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए संसाधन और दी गई अनुज्ञा, उन निबंधनों के अनुसार लागू रहेंगे जिन पर इसे प्राप्त किया गया था, जब तक कि केंद्रीय सरकार लोक हित में अन्यथा अवधारित नहीं करती है।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, पद-

1. "संसाधन" से-

(क) पहले से ही आबंटित दूरसंचार पहचानकर्ता ;

- (ख) नई प्राधिकृत इकाई को सौंपे गए स्पेक्ट्रम;
- (ग) अतिव्यापी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के संबंध में नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारण किए गए अनुपालन का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है; और
2. "अनुज्ञा" में रोल-आउट बाध्यताओं के अनुपालन के एक भाग के रूप में कवरेज परीक्षण प्रमाण पत्र, अनापत्ति, अनुमोदन, नई प्राधिकृत इकाई को दिए गए विदेशी नागरिकों के लिए तैनाती की अनुज्ञा, और रिमोट एक्सेस और प्रवेशद्वार अनुज्ञायों सहित अन्य अनुज्ञाएं सम्मिलित हैं।

अध्याय 3

सामान्य शर्तें

9. प्राधिकार की अवधि—नियम 7 के अधीन प्रदान किए गए प्रत्येक प्राधिकार की अवधि ऐसी होगी जो उक्त नियम के अधीन विनिर्दिष्ट है, जो अधिकतम बीस वर्ष और नियम 14, नियम 15 और नियम 61 के उपबंधों के अधीन है।

10. पात्रता शर्तों का निरंतर पालन—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की अवधि के दौरान, नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगी।

11. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियुक्त अपने लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी तारीख पर और प्रमाण पत्र के साथ ऐसे प्रारूप और रीति में, जो पोर्टल विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करें, जिसमें प्रमाणित किया जाएगा -

- (i) इसकी भारतीय और विदेशी इक्विटी का ब्यौरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों;
- (ii) इस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा; तथा
- (iii) नियम 10 का अनुपालन:

परंतु केंद्रीय सरकार उन नई प्राधिकृत इकाइयों को जिनका कारोबार ऐसी रकम जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो, से अधिक नहीं है ऐसी प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा से छूट दे सकेगी;

स्पष्टीकरण—उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी का निर्धारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(ख) निम्नलिखित के संबंध में किसी भी परिवर्तन की सूचना केंद्रीय सरकार को देना, पोर्टल पर रिपोर्ट करे, अर्थात्:-

- (i) अर्जन के परिणामस्वरूप अपने शेयरधारकों में परिवर्तन, जिसे ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर रिपोर्ट किया जाएगा:

परंतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक नई प्राधिकृत इकाई के संबंध में, शेयरधारिता में केवल ऐसे परिवर्तन जिनका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उपविधियों या सूचीबद्ध शर्तों के अधीन प्रकट किया जाना आवश्यक है, इस उप खंड के अधीन रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित होगा।

- (ii) नाम में परिवर्तन जिसके अधीन इसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन पंजीकृत किया गया है, ऐसे पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ, जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर सूचित किया जाएगा।
- (iii) इसके ब्यौरे में परिवर्तन, जिसमें विदेशी इक्विटी, नियंत्रण, पते और संपर्क ब्यौरे और पहले प्रस्तुत किए गए ब्यौरे में कोई अन्य भौतिक परिवर्तन सम्मिलित है, जो ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन के भीतर सूचित किया जाएगा; और

(ग) केंद्रीय सरकार को ऐसे दस्तावेज, खाते, अनुमान, रिटर्न, रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्रस्तुत करना जो केंद्रीय सरकार को ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो सकती है, जो ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार और अभिहित अभिकरण को ऐसे प्रारूप और रीति से अभिहित करेगी और सूचित करेगी, जैसा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे, भारत में स्थित ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के नोडल व्यक्ति के ब्यौरे, जो इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित कोई रिपोर्ट या सूचना प्रदान करने या समर्थन देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यदि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन एक नई प्राधिकृत इकाई के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक आवेदन की स्वीकृति है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई -

- (क) ऐसी स्वीकृति के अड़तालीस घंटे के भीतर, इस संबंध में केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचित करें; तथा
- (ख) ऐसे आवेदन को स्वीकार करने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश की एक प्रति तत्काल केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करें।

12. अंतरण—(1) प्राधिकार को केवल लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से सौंपा या अंतरित किया जा सकेगा, जो लागू विधि के अधीन विलय, विविलय, अर्जन या पुनर्गठन के अन्य रूप के अनुसरण में है।

(2) उप नियम (1) में दिए गए उपबंध के अनुसार, एक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी:

- (क) किसी भी रीति में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से, इसे प्रदान किए गए किसी भी प्राधिकार को सौंपना या अंतरण करना;
- (ख) ऐसे समनुदेशन या अंतरण के लिए किसी भी भागीदारी या समझौते में प्रवेश करना, या
- (ग) किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में ऐसे प्राधिकार में कोई हित सृजित करना।

13. नवीकरण—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की समाप्ति से कम से कम बारह मास पहले, ऐसे प्रारूप और रीति में जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण फीस के साथ, प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

(2) नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्, यदि वह संतुष्ट हो जाती है कि ऐसी अवधि के भीतर ऐसा आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, ऐसी विलंब फीस के भुगतान के अध्यक्षीन केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध के उत्तर में आवेदन की अनुज्ञा दे सकेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, उप नियम (1) या (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए प्राधिकार का नवीकरण कर सकेगी, जो अधिकतम बीस वर्ष की अध्यक्षीन होगी।

(4) उप नियम (3) के अधीन प्राधिकार का प्रत्येक नवीकरण ऐसे नवीकरण के समय लागू विधि के अधीन होगा।

14. प्राधिकार का प्रतिसंहरण—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राधिकार का प्रतिसंहरण कर सकेगी, अर्थात्:-

- (क) यदि, किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी भी अभ्यावेदन, प्रस्तुतियाँ या दस्तावेज़ जो किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकार के लिए किसी आवेदन के साथ या उसके प्रसंस्करण के दौरान प्रदान किए गए थे, मिथ्या थे;
- (ख) यदि एक नई प्राधिकृत इकाई को परिसमापन में रखने के लिए निदेशित किया जाता है या उसे बंद करने का आदेश दिया जाता है; या
- (ग) यदि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997(1997 का 24) के अनुसार प्राधिकार के प्रतिसंहरण की सिफारिश करता है।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी घटना की घटना पर उप नियम (1) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पहले, केंद्रीय सरकार उप नियम (1) में निर्दिष्ट नई प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर देगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से इकतीसवें दिन से प्रभावी होगा।

15. प्राधिकार का अभ्यर्पण—(1) प्राधिकार को अभ्यर्पण करने की मांग करने वाली कोई नई प्राधिकृत इकाई, ऐसे प्रारूप और रीति में जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो, आवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ वचन पत्र और अन्य जानकारी जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हो भी संलग्न करनी होगी।

(2) केंद्रीय सरकार उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत एक आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है, और यदि अनुमोदित किया जाता है, तो अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख, ऐसे आवेदन के अनुमोदन की तारीख से इकतीसवें दिन होगी।

(3) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा अभ्यर्पण किए गए प्राधिकार से संबंधित ब्यौरे केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) इस नियम के अधीन अपने प्राधिकार का अभ्यर्पण करने वाली प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसे प्राधिकार के संबंध में या उसके अधीन भुगतान किए गए किसी भी फीस या प्रभार की वापसी का हकदार नहीं होगी।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख तक केंद्रीय सरकार को देय और संदेय सभी रकम का भुगतान करेगी, जिसमें प्राधिकार फीस भी सम्मिलित है।

16. प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति के अनुसार कार्रवाई—एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति पर,-

(क) ऐसी इकाई को ऐसे प्राधिकार के संबंध में सौंपा गया स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तारीख से वापस ले लिया जाएगा; तथा

(ख) ऐसी इकाई अपने रेडियो उपस्कर का प्रबंधन लागू विधि के अनुसार करेगी।

17. प्रव्रजन का परिणाम—(1) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार (प्रव्रजन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 के अधीन प्रव्रजन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करती है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई का कोई भी अतिव्यापी प्राधिकार को त्यागने की प्रक्रिया ऐसे प्रव्रजन की प्रभावी तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

(2) अतिव्यापी प्राधिकार का त्याग ऐसी अतिव्यापी प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जो दूरसंचार (प्रव्रजन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 के अनुसार लागू रहेगा।

18. मुजराई—(1) केंद्रीय सरकार किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय किसी रकम को, उस नई प्राधिकृत इकाई को देय किसी रकम के विरुद्ध समायोजित या मुजराई कर सकेगी, चाहे ऐसी रकम वर्तमान में देय हो या भविष्य में कभी भी देय हो जाए जिसमें प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावे या विनियोजन से उत्पन्न कोई रकम भी सम्मिलित है।

(2) केंद्रीय सरकार, उप नियम (1) के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई के पश्चात्, ऐसी व्यवस्था के बारे में नई प्राधिकृत इकाई को सूचित करेगी।

19. देय की वसूली—वसूली की अन्य पद्धतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अधीन किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार को देय कोई रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

20. सूचना मांगने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनों से किसी नई प्राधिकृत इकाई से ऐसी सूचना उपलब्ध कराने की मांग कर सकती है, जिसकी वह मांग करे।

21. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, किसी नई प्राधिकृत इकाई के अनुज्ञा पर या अन्यथा, या किसी प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी घटना के घटित होने पर जिसके कारण उसकी राय में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई या वैसी ही स्थिति वाली नई प्राधिकृत इकाइयों के समूह को इन नियमों के अधीन अपनी किसी भी उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में असमर्थ हो गई हो, तो वह लिखित में अभिलिखित कारणों के साथ आदेश द्वारा, बाध्यता के ऐसे निर्वहन की ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन शिथिल कर सकेगी जैसा वह विनिश्चित करे।

22. आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति—केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनों से अधिनियम या इन नियमों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होने वाले निबंधन और शर्त होंगे।

अध्याय 4

तकनीकी और प्रचालन शर्तें

23. दूरसंचार नेटवर्क—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जो इन नियमों के अधीन प्राधिकार धारण करती है, ऐसे प्राधिकार के विस्तार के अनुरूप होते हुए अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पृथक प्राधिकार की अपेक्षा के बिना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकेगी और रेडियो उपस्कर भी धारण कर सकती है:

परंतु स्पेक्ट्रम के समनुदेशन और उपयोग के संबंध में, नियम 7 का उप नियम (5) लागू होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने प्राधिकार के अनुसरण में दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे दूरसंचार उपस्कर, दूरसंचार नेटवर्क और कैप्टिव दूरसंचार सेवा लागू मानकों और अनुरूपता निर्धारण उपायों के अनुरूप हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित कर सकेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं और ऐसी कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जा रहे दूरसंचार नेटवर्क का तकनीकी ब्यौरे प्रस्तुत करेगी, जिसमें उसके द्वारा केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को तैनात की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरे भी सम्मिलित है, ऐसे समय पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश के अनुसरण में अपेक्षित हो।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए मार्ग के अधिकार के संबंध में अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपस्कर और प्रणालियों की स्थापना, अनुरक्षण, प्रचालन, विस्तार और कमीशनिंग और इसके दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलू के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे,;

परंतु ऐसी, यथास्थिति, नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क, निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना या दूरसंचार संसाधन अन्य नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर ले सकती है।

(5) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा मार्ग के अधिकार की अनुपलब्धता या मार्ग के अधिकार की अनुज्ञा प्राप्त करने में देरी इन नियमों के अधीन रोल-आउट बाध्यताओं को पूरा न करने या किसी अन्य बाध्यताओं का अनुपालन न करने का कारण या आधार नहीं होगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसे आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में जारी कर सकेगी, अर्थात् -

(क) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपस्कर की तैनाती; तथा

(ख) स्वदेशी रूप से विनिर्मित दूरसंचार उपस्कर की खरीद के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच।

24. दूरसंचार नेटवर्क तत्वों का अवस्थान—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने या विस्तार करने से पहले, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए, पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, भारत के राज्यक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा या किसी अन्य क्षेत्र के निकट आने वाले निर्बन्धित क्षेत्रों में कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के उपयोग पर निर्बन्धन विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी प्रणालियां उसके प्राधिकारों के सेवा क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े सभी डाटा, लॉग और सूचना भारत के भीतर संग्रहीत की जाएंगी और ऐसे डाटा, लॉग और सूचना की कोई भी प्रतियाँ भारत के बाहर नहीं भेजी, साझा या उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

25. दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना का आदान-प्रदान—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जो इन नियमों के अधीन अलग-अलग प्राधिकार धारण करती है, अपने निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना, दूरसंचार उपस्करों या अपने दूरसंचार नेटवर्क की किसी अन्य प्रणाली को साझा कर सकेगी।

26. कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं का प्रारंभ—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई कैप्टिव दूरसंचार सेवा उपबंध के प्रारंभ होने की तारीख की सूचना प्रारंभ होने के पंद्रह दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को देगी।

27. निरीक्षण करने और निर्धारण करने का अधिकार—(1) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनों के लिए, नई प्राधिकृत इकाई को युक्तियुक्त सूचना जारी करने के पश्चात्-

(क) उन साइटों तक पहुंच और उनका निरीक्षण कर सकेगी जहां दूरसंचार उपस्कर और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित है;

(ख) इन नियमों के अनुपालन के लिए ऐसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं या प्रणालियां स्थापित कर सकेंगी:

परंतु कि, उस नई प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी यदि केंद्रीय सरकार यह समझती है कि तुरंत कार्रवाई लोक हित में आवश्यक या समीचीन है:

परन्तु यह और कि केंद्रीय सरकार इन नियमों के अनुपालन के लिए उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों की लेखा परीक्षा के लिए एक अभिहित अभिकरण नियुक्त कर सकेगी, ऐसे प्रभारों पर जो केंद्रीय सरकार अवधारित करे, जो उस नई प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगी:

परंतु कि ऐसी अभिहित अभिकरण किसी भी जानकारी को एकत्र नहीं करेगा और न ही इसके प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी, जिसके प्रकटीकरण से किसी भी उपयोक्ताओं या नई प्राधिकृत इकाई की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान हो सकता है, जिसमें कोई गोपनीय डाटा, व्यावसायिक रूप से मूल्य संवेदनशील डाटा, व्यापार भेद, बौद्धिक संपदा, या दूरसंचार नेटवर्क या उस नई प्राधिकृत इकाई या उपयोक्ता के परिसर से प्रत्ययी संबंध द्वारा समाविष्ट की गई जानकारी सम्मिलित है:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार यह मानती है कि नई प्राधिकृत इकाई की सूचना का संग्रह जो तीसरे परंतुक द्वारा समाविष्ट किया गया है, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आवश्यक है, तो वह अभिहित अभिकरण को ऐसे डाटा एकत्र करने का निदेश दे सकेगी और इस संबंध में केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप नियम (1) के अधीन यथाअपेक्षित लेखा परीक्षा और निरीक्षण की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगी।

अध्याय 5

सुरक्षा शर्तें

28. नई प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित, अर्थात्:-

(क) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(ख) दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी मुख्य अधिकारी, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के सुरक्षा और सिस्टम प्रशासक निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी विदेशी नागरिक की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करेगी-

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी के पदों पर ऐसे विदेशी नागरिकों की नियुक्ति से पहले, और इस तरह की सुरक्षा जांच ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर की जाएगी; तथा

(ख) अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार के लिए ऐसे विदेशी नागरिक की तैनाती से पहले सुनिश्चित करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप नियम (2) में उपबंधित सुरक्षा पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आवेदन करेगी, और इस संबंध में गृह मंत्रालय का विनिश्चय ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के लिए बाध्यकारी होगा।

29. रिकॉर्ड का अनुरक्षण— प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को केंद्रीय सरकार के आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, अपनी सभी कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड, ग्राहक डाटा रिकॉर्ड, कॉल डाटा रिकॉर्ड या कॉल डिटेल् रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल् रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल् रिकॉर्ड या इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा रिकॉर्ड और इसी प्रकार के अन्य रिकॉर्ड रखने होंगे।

30. दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संव्यवहार की गई सूचना को सुरक्षित करना—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और संदेशों का अप्राधिकृत अवरोधन नहीं होगा।

31. अनधिकृत या अविधिमान्य क्रियाकलाप के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग का निवारण— प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल कैप्टिव दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए वह प्राधिकृत है, वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए और कोई कार्यकलाप करने या कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं, जो अधिनियम भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध है जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों को प्रतिषिद्ध करने वाली विधियाँ भी सम्मिलित हैं।

32. विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद—(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिहित प्राधिकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपस्करों की श्रेणियों का अवधारण करेगा जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों से संबंधित सुरक्षा अपेक्षाएं लागू हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर इसे निर्दिष्ट करेंगे।

(2) अभिहित प्राधिकारी उप नियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट दूरसंचार उपस्कर के प्रवर्गों के लिए संबंधित विश्वसनीय उत्पादों के साथ विश्वसनीय स्रोतों की सूची निर्दिष्ट करेगा।

(3) अभिहित प्राधिकारी उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपस्कर को सम्मिलित करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) अभिहित प्राधिकारी उन व्यक्तियों की सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनसे दूरसंचार उपस्कर की कोई खरीद नहीं की जा सकती है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई दूरसंचार उपस्कर की खरीद के लिए अपनी वेबसाइट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल विश्वसनीय उत्पादों की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण और विस्तार करेगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत करेगी, दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपस्कर से संबंधित सुसंगत ब्यौरे प्रदान करेगी, जैसा कि ऐसे प्राधिकार द्वारा अपेक्षित हो।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार उपस्करों और उनके प्रवर्गों की अधिप्राप्ति से पहले, अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना या उसके किसी उन्नयन या विस्तार के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात् -

(क) यदि अभिहित प्राधिकारी ने पहले से ही उप नियम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपस्कर और उनके संबंधित विश्वसनीय स्रोतों के रूप में अवधारित किया है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी -

(i) दूरसंचार उपस्कर की सूची और वे स्रोत जिनसे वह प्राप्त करने की योजना बना रहा है; तथा

(ii) दूरसंचार उपस्कर की खरीद और उनके स्रोतों की आवधिक रिपोर्टें और उनकी तैनाती के स्थान क्या हैं।

(ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई उप नियम (3) के अधीन इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार उपस्कर और उनके स्रोतों का ब्यौरे अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी, जिनसे वह इसे प्राप्त करने का आशय रखता है:

(ग) यदि अभिहित प्राधिकारी दूरसंचार उपस्कर और उनके स्रोतों को अनुमोदित करता है, जैसा कि ऊपर खंड (ख) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई इसे खरीदने और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी:

(घ) ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के बेहतर पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन सम्मिलित है, जो केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी इस संबंध में जारी कर सकते हैं।

(8) नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त होने पर अपने दूरसंचार नेटवर्क में तैनात या तैनात किए जा रहे दूरसंचार उपस्कर से संबंधित सुसंगत तकनीकी, प्रचालन, आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करेगी।

(9) नई प्राधिकृत इकाई, इस नियम के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट, पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को विनिर्दिष्ट तारीख पर प्रस्तुत करेगी।

(10) ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, कि इसे अधिनियम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, जो नई प्राधिकृत इकाइयों के लिए बाध्यकारी होगी।

33. कतिपय कार्यकलापों का प्रतिषेध—(1) किसी नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित प्रेषण के लिए नहीं किया जाएगा-

(क) ऐसे संदेश जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन बनाए गए नियमों सहित लागू विधि के अनुसार अवैध या अप्राधिकृत हों; या

(ख) किसी भी प्ररूप में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का अतिलंघन करने वाला संदेश।

(2) नई प्राधिकृत इकाई, केंद्रीय सरकार से कोई सूचना, आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत प्राप्त होने पर या न्यायालय का आदेश होने पर अपने दूरसंचार नेटवर्क में उप नियम (1) के अतिलंघन में संदेश के पारेषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(3) नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए परिसंकट न बन जाए और यह किसी भी लागू विधि का उल्लंघन न करे।

(4) नई प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोक्ताओं को कोई वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं करेगा।

34. सामान्य सुरक्षा शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी;

(ख) वे सुविधाएं प्रदान करेगा जिसकी केंद्रीय सरकार जासूसी, विध्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य अविधिमान्य क्रियाकलाप की किसी भी स्थिति का प्रतिउत्तर देने के लिए मांग करेगी;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने की क्षमता सुनिश्चित करेगा जिन्हें पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, अपने स्वयं की लागत पर, ऐसे आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों, जैसा केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण इस संबंध में जारी करे, के अनुसार निगरानी सुविधाओं के उपबंध की व्यवस्था करेगी।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्राधिकार के सेवा क्षेत्र, यदि कोई हो, के सटीक परिसीमन के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए मानचित्रों का पालन करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इन नियमों के उपबंधों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों और उचित सुरक्षा उपायों को लागू करेगी।

अध्याय 6

कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

35. अध्याय 6 का लागू होना—(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम, इस अध्याय के सुसंगत भाग के विस्तार में विनिर्दिष्ट कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने वाले किसी नए प्राधिकृत इकाई पर भी लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से 5 और अध्याय 6 के उपबंधों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, अध्याय 6 में उल्लिखित नियम ऐसे टकराव की सीमा तक अभिभावी होंगे।

भाग क

कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार

36. भाग क का लागू होना—यह भाग नए प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार हो, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, "नई प्राधिकृत इकाई" पद के किसी भी संदर्भ से अभिप्रेत है ऐसे नए प्राधिकृत इकाई जिसके पास कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार हो।

37. कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार का दायरा—(1) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार में कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवाओं के लिए प्राधिकार सम्मिलित हैं।

(2) नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार है, सेवा क्षेत्र के भू-निर्देशांक के भीतर अपने स्वयं के कैप्टिव उपयोग के लिए कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण और विस्तार के लिए प्राधिकार का उपयोग करेगा, न कि सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा या कोई अन्य दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकार अपेक्षित है।

38. फीस और प्रभार—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख से कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार के लिए वार्षिक प्राधिकार फीस का भुगतान करेगा, जो प्रति उपयोक्ता टर्मिनल तीन सौ रुपये होगी, जो न्यूनतम पांच हजार रुपये और उप नियम (2) से उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट रकम, जैसा लागू हो, के अध्यक्षीन होगा।

परन्तु यह कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई जिसके पास पुलिस, अग्निशमन या सरकारी सुरक्षा सेवा सहित सेवाओं के लिए कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार है, को किसी भी वार्षिक प्राधिकार फीस का भुगतान करने की अपेक्षा से छूट होगी।

(2) प्राधिकार की प्रभावी तारीख के चौथे वर्ष से, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए वह प्राधिकार फीस निम्नलिखित से अधिक होती-

(क) प्रत्येक उपयोक्ता टर्मिनल तीन सौ रुपये; या

(ख) पच्चीस हजार रुपये।

(3) प्राधिकार के नवीकरण की स्थिति में, नवीनीकरण की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्न से अधिक होगी-

(क) प्रत्येक उपयोक्ता टर्मिनल के लिए तीन सौ रुपये; या

(ख) पच्चीस हजार रुपये।

(4) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार के निबंधन और शर्तों के लिए अनुज्ञप्ति में अंतरण की स्थिति में, -

(क) यदि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति की प्रभावी तारीख से उस अवधि तक तीन वर्ष से कम समय के लिए चालू रही है, जिसके दौरान अनुज्ञप्ति और प्राधिकार के अधीन संयुक्त प्रचालन तीन वर्ष के बराबर हो, तो ऐसे अन्तरण की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्नलिखित से अधिक होगी-

- (i) प्रत्येक उपयोक्ता टर्मिनल तीन सौ रुपये; या
- (ii) पांच हजार रुपये

स्पष्टीकरण.--इस खंड में, एक वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञप्ति के अधीन प्रचालन को एक पूर्ण वर्ष के रूप में गिना जाएगा; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, प्रवासन की प्रभावी तारीख से प्राधिकार फीस निम्नलिखित से अधिक होगी-

- (i) क्या यह सच है कि प्रत्येक उपयोक्ता टर्मिनल के लिए तीन सौ रुपये; या
- (ii) अन्य सभी मामलों में पच्चीस हजार रुपये।

(5) इस भाग में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस की दर, किसी भी समय प्राधिकार की अवधि के भीतर इन नियमों में संशोधन के माध्यम से भिन्न हो सकती है।

39. भुगतान की समय-सारिणी-(1) इन नियमों के अधीन निर्धारित प्राधिकार फीस किसी नए प्राधिकृत इकाई द्वारा 1 अप्रैल आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किश्तों में देय होगा, और प्राधिकार की किसी भी अवधि के लिए फीस, जो एक चौथाई से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिन की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार फीस की त्रैमासिक किश्तों का भुगतान निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात् -

- (क) किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों की प्रत्येक तिमाही के संबंध में त्रैमासिक किस्त का भुगतान, संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा; तथा
- (ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान, पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए उपयोग में आने वाले उपयोक्ता टर्मिनलों की अपेक्षित संख्या के आधार पर की जाएगी:

परंतु यह कि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और ऐसी तिमाही के लिए देय वास्तविक रकम के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक समायोजित कर भुगतान करेगा।

(3) उप नियम (2) के अनुसरण में भुगतान की गणना, प्रत्येक मास के अंत में उपयोग में आने वाले उपयोक्ता टर्मिनलों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसे संबंधित तिमाही के सभी मास के लिए जोड़ा जाएगा और उस मासों की संख्या से विभाजित किया जाएगा:

परंतु यह कि एक मास से कम अवधि के लिए, उस मास के लिए उपयोक्ता टर्मिनलों की संख्या की गणना, मास में दिन की कुल संख्या के अनुसार प्राधिकार के अधीन दिन की वास्तविक संख्या के कारक का उपयोग करके यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(4) उप नियम (2) के अनुसरण में भुगतान के साथ ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि पोर्टल पर यथाविनिर्दिष्ट किया जाएगा, एक ऐसे स्व-प्रमाण पत्र और नई प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्रत्येक प्राधिकार के लिए प्राधिकार फीस की गणना का ब्यौरे संलग्न किया जाएगा, जो ऐसे नए प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित हो, जिसे बोर्ड के संकल्प और सामान्य मुख्तारनामा द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है:

परंतु यह कि नियम 5 के खंड (ख) के अधीन इकाइयों के दशा में, ऐसे स्व-प्रमाण पत्र और ब्यौरे पर ऐसे कार्यालयों पर लागू आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार ऐसे सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

(5) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा संदेय प्राधिकार फीस या किसी अन्य देय रकम के भुगतान में कोई भी विलंब किए जाने की स्थिति में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भी संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अर्थात् 1 अप्रैल को यथा मौजूद भारतीय स्टेट बैंक की निधि आधारित ऋण दर की एक वर्ष की सीमांत लागत की दर से परिकलित ब्याज और दो प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगी:

परंतु यह कि ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए एक मास के किसी भी हिस्से को पूरे मास के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जून की तीस तारीख को या उससे पहले, उप नियम (2) के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकार शुल्क का अंतिम समायोजन करेगा।

(7) इन नियमों के अधीन देय और संदेय योग्य सभी धनरकम का भुगतान, नए प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

40. प्राधिकार के लिए प्रत्याभूति संबंधी अपेक्षाएं—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, बिना शर्त और अशोध्य प्रत्याभूति पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके में प्रस्तुत करेगी जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की होगी, अर्थात्: -

- (क) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था से बैंक प्रत्याभूति जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष हो;
- (ख) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, किसी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया एक कार्य निष्पादन बांड, जिसकी न्यूनतम वैधता अवधि इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की हो; या
- (ग) केंद्रीय सरकार को बिना ब्याज वाली नकद जमा:

परंतु यह कि कोई नई प्राधिकृत इकाई जिसके पास पुलिस, अग्निशमन या सरकारी सुरक्षा सेवा के प्रबंधन के लिए कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार हो, को इस उप नियम के अधीन प्रत्याभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट होगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति का उद्देश्य, प्राधिकार के सभी निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकार फीस, प्राधिकार के किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन या भंग करने, आदेशों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया जुर्माना या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत और प्राधिकार के अधीन संदेय कोई अन्य देयताएं सम्मिलित हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्याभूति, केंद्रीय सरकार द्वारा वार्षिक समीक्षा के अध्याधीन होगी और नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की अवधि के दौरान या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, जो भी बाद में हो, एक वैध प्रत्याभूति बनाए रखेगा:

परंतु यह कि आशय पत्र के अनुसरण में प्रस्तुत प्रारंभिक प्रत्याभूति, अनुसूची में प्रत्येक कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रैकिंग सेवा प्राधिकार के संबंध में यथा निर्दिष्ट रकम के लिए या नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार रकम के लिए होगी, और यह प्रत्याभूति केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित रकम के लिए प्राधिकार के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए होगी, जो कि निम्नलिखित से अधिक के आधार पर होगी-

(क) अनुसूची में कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवा प्राधिकार के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक प्रत्याभूति की रकम, या

(ख) निम्नलिखित के संयुक्त अनुमानित योग का 20 प्रतिशत, जिसकी गणना पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित की जाएगी:—

(i) दो तिमाहियों के लिए संदेय प्राधिकार फीस;

(ii) कोई अन्य बकाया राशि जो अन्यथा प्रतिभूत नहीं है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, इस नियम के अधीन प्रस्तुत प्रत्याभूति की वैधता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक माह पहले, केंद्रीय सरकार से बिना किसी मांग या सूचना के कम से कम 1 वर्ष बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकार की अवधि के दौरान या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय रकम का भुगतान नहीं हो जाता, जो भी बाद में हो, किसी भी समय वैध प्रत्याभूति न बनाए रखने पर, केंद्रीय सरकार को बैंक प्रत्याभूति को भुनाने, कार्य निष्पादन बांड का दावा करने या नकद जमा को नए प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना दिए बिना विनियोजित करने का अधिकार होगा:

परंतु यह कि ऐसी प्रत्याभूति को भुनाने, दावा करने या विनियोग करने पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) यदि प्रत्याभूति को पूरी तरह या आंशिक रूप से भुनाया गया है, दावा किया गया है या विनियोजित किया गया है, तो नई प्राधिकृत इकाई इस तरह भुनाई गई, दावा की गई या विनियोजित प्रत्याभूति की पूरी रकम को उसके तीस दिन के भीतर प्रत्यावर्तन करेगा:

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार, उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले ऐसे नए प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुज्ञा प्राप्त होने पर, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के अध्यक्षीन, प्रत्याभूति को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन से अनधिक एकबारगी विस्तार दे सकेगी।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित किसी भी स्थिति में नए प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्याभूति को भुना सकती है, दावा कर सकती है या उसका विनियोग कर सकती है, अर्थात्:-

(क) प्राधिकार या समनुदेशन के अधीन संदेय प्राधिकार फीस या किसी भी अन्य बकाया रकम का भुगतान न होने पर;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए शास्ति से उत्पन्न होने वाली बकाया रकम का भुगतान न करने पर; या

(ग) प्राधिकार या समनुदेशन के किसी भी अन्य निबंधन या शर्त का उल्लंघन होने पर।

परंतु यह कि इस उप नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नए प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी कर सकती है और इसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सकती है।

(8) प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्षण या इसकी समाप्ति होने पर, केंद्रीय सरकार, सभी बकाया देयताओं को चुकाना सुनिश्चित करने के बाद ही प्रत्याभूति जारी करेगी, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए दायी है:

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार को देय रकम का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, बकाया रकम को, केंद्रीय सरकार को देय रकम की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप नियम (7) में यथा उपबंधित की गई प्रत्याभूति को भुनाने, दावे या विनियोग के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

41. प्राधिकार फीस का निर्धारण—(1) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “निर्धारण” में पुनःनिर्धारण और पुनर्गणना सम्मिलित है।

(2) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई के पास एक अलग सेवा क्षेत्र में किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए या एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक से अधिक प्राधिकार है, तो वह प्रत्येक प्राधिकार के लिए अलग-अलग खाते और गणना ब्यौरा तैयार करेगा, उसे अनुरक्षित रखेगा और उसे प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकार फीस की गणना से संबंधित अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में अनुरक्षण और परिरक्षण करेगी।

परंतु यदि ऐसी नई प्राधिकृत इकाई ऐसे अभिलेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना और संरक्षित रखना चाहती है, तो वह केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा कर सकती है, जो कि मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया जा सकता है, और ऐसी स्वीकृति स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने पर, ऐसे अभिलेख कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार बनाए रखे और संरक्षित रखे जाएंगे:

परंतु यह कि यदि किसी भी अवधि के लिए प्राधिकार फीस या कोई अन्य फीस विवाद के अधीन है, तो उक्त अभिलेख को तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऐसे विवाद का समाधान नहीं हो जाता।

(4) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, नए प्राधिकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या उन अभिलेखों तक पहुँच प्रदान करने का निदेश दे सकेगी जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार की शर्तों के अधीन रखता है, और वह नया प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेश का तत्काल पालन करेगा।

(5) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, किसी नए प्राधिकृत इकाई के अभिलेखों की ऐसी संवीक्षा कर सकेगी, जैसा वह प्राधिकार फीस और किसी अन्य प्रभारों सहित केंद्रीय सरकार को संदेय रकम के स्वतंत्र सत्यापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से निर्धारित करे।

(6) अगर कोई नई प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष के खत्म होने के चार महीने के भीतर नियम 39 के उप नियम (4) के अधीन ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार सभी उपलब्ध दस्तावेज़ों, सूचना और संबंधित सामग्री की समीक्षा करने के बाद, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकती है:

परंतु यह कि ऐसे निर्धारण के साथ आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसे नए प्राधिकृत इकाई को एक नोटिस जारी करेगी जिसमें उस सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(7) इस नियम के अधीन कोई मूल्यांकन उप नियम (8) के अधीन उपबंधित के सिवाय ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि के बाद सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा।

(8) केंद्रीय सरकार सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के बाद और ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष तक निर्धारण कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि वह रकम जिसका निर्धारण किया गया है, उसके ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए दस लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के समतुल्य होने की संभावना है।

(9) उप नियम (7) और उप नियम (8) के अधीन गणना करने के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट सीमा की अवधि किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसरण में ऐसे निर्धारण पर लगी रोक की अवधि को छोड़ दिया जाएगा।

(10) उप नियम (7) और उप नियम (8) में किसी बात के होते हुए, प्राधिकार फीस का निर्धारण, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी भी निष्कर्ष या निदेश के अनुसरण में किसी भी समय किया जा सकता है।

(11) केंद्रीय सरकार, प्राधिकार फीस का उचित और सटीक निर्धारण, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे नए प्राधिकृत इकाई के लेखाओं और लेखापरीक्षा के सिलसिले में, सभी या किसी कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के संबंध में उस नए प्राधिकृत इकाई को निदेश जारी कर सकेगी और वह नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

42. तकनीकी और प्रचालन शर्तें—(1) नई प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा नेटवर्क को सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा नेटवर्क को किसी अन्य नए प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के कैप्टिव दूरसंचार नेटवर्क से आपस में नहीं जोड़ेगा।

(3) नई प्राधिकृत इकाई अपने सेवा क्षेत्र के भीतर अपने रिपीटर स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित कर सकता है।

(4) नई प्राधिकृत इकाई उस भौगोलिक क्षेत्र, जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है के भीतर एक रिपीटर स्टेशन के इकाईपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है:

परंतु यह कि रिपीटर स्टेशन के स्थान के ऐसे स्थानांतरण के परिणामस्वरूप होने वाला रेडियो कवरेज उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है।

(5) नई प्राधिकृत इकाई, निम्नलिखित के संबंध में उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पोर्टल पर आवेदन करके, लिखित रूप में केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन से अतिरिक्त रिपीटर स्टेशन स्थापित कर सकेगा, जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है -

(क) नए रिपीटर स्टेशन के लिए आवृत्तियों के अतिरिक्त ब्लॉक; या

(ख) ऐसे किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आवंटित आवृत्तियों के पूल से कुछ आवृत्ति वाहकों का आंशिक स्थानांतरण करके नए पुनरावर्तक स्टेशन पर आवंटित आवृत्तियों के उपयोग से:

परंतु यह कि अतिरिक्त रिपीटर स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप होने वाला रेडियो कवरेज, उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहेगा जिसके लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर पूर्व सूचना देने के बाद, अपने रेडियो उपस्कर या उपयोक्ता टर्मिनलों को बदल सकती है।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोक्ता टर्मिनल, प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों और ऐसे सुसंगत आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रचालित किया गया है जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी करे।

43. रोलआउट दायित्व—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उस भौगोलिक क्षेत्र, जिसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है, में ऐसे आवंटन की तारीख से बारह माह के भीतर, कम से कम एक रिपीटर स्टेशन की स्थापना सहित कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाओं के लिए दूरसंचार नेटवर्क आरंभ करेगा।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट रोलआउट दायित्वों के अनुपालन के सत्यापन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पोर्टल पर केंद्रीय सरकार के साथ पंजीकरण करेगी जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन सफल सत्यापन पर, केंद्रीय सरकार में पंजीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्वों के अनुपालन की तारीख माना जाएगा।

(4) उप नियम (2) में सत्यापन में विफलता की स्थिति में, नई प्राधिकृत इकाई आवश्यक सुधारों के बाद पुनः पंजीकरण करेगा और ऐसी स्थिति में सफल सत्यापन पर केंद्रीय सरकार में पुनः पंजीकरण की तारीख को रोलआउट दायित्व के अनुपालन की तारीख माना जाएगा।

(5) रोलआउट दायित्वों का पालन करने में किसी भी विफलता को प्राधिकार के निबंधन और शर्तों का भंग माना जाएगा और इस अधिनियम के अध्याय VIII के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी:

परंतु यह कि यदि ऐसे दायित्वों के अनुपालन के लिए नियत तारीख की समाप्ति के तीस दिन के भीतर रोलआउट दायित्वों का अनुपालन किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार इसे रोलआउट दायित्वों को समय पर पूरा किया जाना मानेगी।

(6) रोलआउट दायित्वों का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में, इस अधिनियम के अध्याय VIII के उपबंधों के अनुसार सिविल शास्त्र लगाने के अलावा, कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और स्पेक्ट्रम आवंटन के निबंधन और शर्तों के अध्याधीन होगा।

भाग ख

कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार

44. भाग ख की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राधिकृत इकाई जो कि कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार रखती है, पर लागू होगा और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट होने के अलावा, पद "नई प्राधिकृत इकाई" के किसी भी संदर्भ का अर्थ ऐसी नई प्राधिकृत इकाई है जो कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार रखती है।

45. कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार कि परिधि—(1) कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार में राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर किसी भौगोलिक क्षेत्र में कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने के लिए प्राधिकार सम्मिलित है, जो कैप्टिव गैर-सार्वजनिक उपयोग के लिए एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कब्जे वाले परिसर के तार्किक परिधि के भू-निर्देशांकों तक सीमित है, की स्वामित्व या पट्टे पर दिया गया है।

(2) नई प्राधिकृत इकाई राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र की तार्किक परिधि के भू-निर्देशांक का ब्यौरे के साथ पोर्टल पर केंद्रीय सरकार को पूर्व सूचना देने के बाद विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में एक नया कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित कर सकती है जो ऐसे परिसर की तार्किक परिधि के भू-निर्देशांक तक सीमित है।

(3) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के भीतर एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क रखने वाली एक नई प्राधिकृत इकाई को केवल एक कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार की आवश्यकता होगी।

(4) एक नई प्राधिकृत इकाई किसी भी वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग नहीं करेगी।

46. फीस और प्रभार—एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार शुल्क देय नहीं होगा।

47. तकनीकी और परिचालन शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क को सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(2) एक नई प्राधिकृत इकाई, अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त घरेलू पट्टे वाले परिपथों के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थापित अपने कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्कों को जोड़ सकती है जिसके पास घरेलू पट्टे पर परिपथ प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है।

(3) कोई नई प्राधिकृत इकाई अपने कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क को किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, द्वारा स्थापित कैप्टिव दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क के रेडियो सिग्नल कब्जे वाले परिसर के तार्किक परिधि के भू-निर्देशांक के भीतर अवरोधित हैं।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी, जिसके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, द्वारा स्थापित दूरसंचार नेटवर्क में कोई हानिकारक हस्तक्षेप न हो और जहां ऐसा कोई हस्तक्षेप पाया जाता है, वह ऐसे उपायों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में निदेश दे सकती है।

48. स्पेक्ट्रम का समनुदेशन और उपयोग—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई जिसे इस भाग के अधीन प्राधिकार प्रदान किया गया है, लागू विधि के अधीन अभिगम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है, जो कि ऐसे विधि के अधीन अर्हता शर्तों को पूरा करने के अधीन, -

(क) पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से पट्टे पर (इसके बाद "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट); या

(ख) सीधे केंद्रीय सरकार से:

परंतु यह कि नई प्राधिकृत कंपनी नियम 45 के उप नियम (2) के अनुसार प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लिए कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित करने की पूर्व सूचना के बाद ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग एक्सेस स्पेक्ट्रम प्राप्त करेगी।

स्पष्टीकरण—संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस भाग के अधीन प्राधिकार प्रदान करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी नई प्राधिकृत इकाई को स्पेक्ट्रम के समनुदेशन या उपयोग के लिए कोई अधिकार प्रदान करता है।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार है, यह सुनिश्चित करेगी कि अभिगम स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने के लिए संविदा में निम्नलिखित शर्तें विनिर्दिष्ट हों, जो निम्नलिखित हैं: -

(क) कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क या सेवा के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए पट्टेदार द्वारा इसके परिसरों का आवधिक निरीक्षण; और

(ख) यदि पट्टेदार को खंड (क) के अधीन किसी भी दुरुपयोग का पता चलता है, तो वह तुरंत ऐसे पट्टे पर दिए गए स्पेक्ट्रम को वापस ले लेगा और ऐसे दुरुपयोग का पता चलने के 24 घंटे के भीतर केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचित करेगा।

भाग ग

कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार

49. भाग ग की प्रयोज्यता—यह भाग एक नए प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार को रखता है और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट प्रदान किए जाने के अलावा पद "नई प्राधिकृत इकाई" का कोई भी संदर्भ ऐसे नए प्राधिकृत इकाई को निर्दिष्ट करता है जो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार को बंदी रखता है।

50. कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार का क्षेत्र—(1) कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार में निम्नलिखित के लिए प्राधिकार सम्मिलित है, अर्थात्:

(क) वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल या चालू अर्थ स्टेशन का उपयोग करके दूरसंचार सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए उपग्रह नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना; और

(ख) खंड (क) के अंतर्गत स्थापित दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के कार्यालयों या स्थलों के बीच डाटा कनेक्टिविटी स्थापित करना।

(2) कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई किसी भी वाणिज्यिक या सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए अपने दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग नहीं करेगी।

51. फीस और प्रभार—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, जिसके पास कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार है, ऐसे प्राधिकार की प्रभावी तारीख से स्थापित अर्थ स्टेशन इन मोशन सहित प्रति वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल दस हजार रुपये के वार्षिक प्राधिकार फीस का भुगतान करेगी।

(2) कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के लिए अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के नवीनीकरण या प्रव्रजन की स्थिति में, प्राधिकार फीस उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम होगी जो नवीनीकरण या प्रव्रजन के प्रभावी से, जैसा भी मामला हो।

(3) इस भाग में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस की दर को प्राधिकार की अवधि के भीतर किसी भी समय बदला जा सकता है।

52. भुगतान की समय-सारिणी—(1) इन नियमों के अनुसार निर्धारित प्राधिकार फीस एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा पहली अप्रैल से आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किशतों में देय होगा, और प्राधिकार की किसी भी अवधि के लिए फीस जो एक चौथाई से कम है, की गणना संबंधित तिमाही में दिन की वास्तविक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की जाएगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार फीस की त्रैमासिक किशतों का भुगतान निम्नलिखित रीति में करेगी, अर्थात् -

- (क) किसी वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमासिक किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा; तथा
- (ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए उपयोग में आने वाले अर्थ स्टेशन सहित वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल की अपेक्षित संख्या के आधार पर की जाएगी:

परंतु यह ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अंतिम तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और ऐसी तिमाही के लिए देय वास्तविक रकम के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के पंद्रह अप्रैल तक समायोजित और भुगतान करेगी।

(3) उप नियम (2) के अनुसार भुगतान की गणना प्रत्येक महीने के अंत में उपयोग में आने वाले अर्थ स्टेशन सहित वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल की संख्या के आधार पर की जाएगी जिसे संबंधित तिमाही के सभी महीनों के लिए जोड़ा जाएगा और महीनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा:

परंतु यह कि एक महीने से कम अवधि के लिए उस महीने के लिए गति में पृथ्वी स्टेशन सहित वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल की संख्या की गणना महीने में दिन की कुल संख्या के मुकाबले प्राधिकार के अधीन दिन की वास्तविक संख्या के कारक का उपयोग करके आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

परंतु यह भी कि मशीन-टू-मशीन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, जिसका उपयोग डायरेक्ट-टू-सैटेलाइट सहित किसी भी आर्किटेक्चर में किया जाता है को प्राधिकार फीस की गणना के उद्देश्य से वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.—उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए—

1. वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल में उपयोक्ता टर्मिनलों सहित सभी प्रकार के वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सम्मिलित होंगे जो केवल प्राप्त कर सकते हैं या केवल संचारित कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं।
2. प्राधिकार फीस नेटवर्क में हब की संख्या पर ध्यान दिए बिना और किसी न्यूनतम प्राधिकार फीस के बिना चालू अर्थ स्टेशन सहित वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल की कुल संख्या पर आधारित होगा।

(4) उप नियम (2) के अनुसार भुगतान, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और रीति से, एक स्व-प्रमाण पत्र द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक प्राधिकार के लिए प्राधिकार फीस की गणना का एक ब्यौरे जो ऐसे नए प्राधिकृत इकाई के एक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया गया है जिसे बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत किया गया है:

परंतु यह कि नियम 5 के खंड (ख) के अधीन इकाइयों के मामले में, ऐसे स्व-प्रमाण पत्र और ब्यौरे पर ऐसे कार्यालयों पर लागू आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

(5) ऐसे भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के बाद नई प्राधिकृत इकाई द्वारा संदेय प्राधिकार फीस या किसी अन्य देय रकम के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई भी संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल के प्रारंभ में 2 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ मौजूदा भारतीय स्टेट बैंक की निधियों की एक वर्ष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर की दर से परिकलित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी:

परंतु यह कि ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए एक महीने के किसी भी हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जून की 30 तारीख को या उससे पहले, उप नियम (2) के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकार फीस का अंतिम समायोजन करेगी।

(7) इन नियमों के अधीन देय और भुगतान होने वाली सभी धनरकम का भुगतान नई प्राधिकृत इकाई द्वारा इस तरह से किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करे।

53. प्राधिकार के लिए प्रत्याभूति आवश्यकताएँ—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और रीति से निम्नलिखित प्रकारों में से किसी के लिए एक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:-

- (क) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय इकाईन से बैंक प्रत्याभूति जिसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि हो;
- (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार एक भारतीय बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया एक प्रदर्शन बांड, इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ; या
- (ग) केंद्रीय सरकार के पास बिना ब्याज वाली नकद जमा:

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार का कोई भी विभाग जिसके पास कैप्टिव बहुत छोटे अपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार है उसे किसी भी प्रत्याभूति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्याभूति का उद्देश्य प्राधिकार के सभी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकार फीस, प्राधिकार के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड या आदेशों का अनुपालन न करना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत और प्राधिकार के अधीन देय कोई अन्य देय।

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्याभूति केंद्रीय सरकार द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और नई प्राधिकृत इकाई प्राधिकार की अवधि के दौरान या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय रकम को अनुमोदन नहीं दे दी जाती है, जो भी बाद में हो, एक वैध प्रत्याभूति बनाए रखेगी:

परंतु यह कि आशय पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रारंभिक प्रत्याभूति अनुसूची में प्रत्येक कैप्टिव बहुत छोटे अपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार के संबंध में विनिर्दिष्ट राशि के लिए या नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार रकम के लिए होगी, और प्राधिकार के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्रत्याभूति केंद्रीय सरकार द्वारा उच्च के आधार पर विनिर्दिष्ट निर्धारित राशि के लिए होगी -

- (क) अनुसूची में कैप्टिव बहुत छोटे अपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक प्रत्याभूति की रकम, या

(ख) संयुक्त अनुमानित रकम का 20 प्रतिशत जो कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना की गई हो, निम्नलिखित में से, अर्थात्

- (i) दो तिमाहियों के लिए देय प्राधिकार फीस;
- (ii) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा प्रतिभूति नहीं है।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई इस नियम के अधीन प्रस्तुत प्रत्याभूति की वैधता अवधि को उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम एक माह पहले, केन्द्रीय सरकार की ओर से बिना किसी मांग या सूचना के बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकार के दौरान किसी भी समय या जब तक प्राधिकार के अधीन सभी देय रकम का भुगतान नहीं हो जाता, जो भी बाद में हो, नई प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना दिए बिना केंद्रीय सरकार को बैंक प्रत्याभूति को भुनाने, निष्पादन बांड का दावा करने या नकद जमा को विनियोजित करने का अधिकार देगा:

परंतु यह कि ऐसी प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या मुआवजा देय नहीं होगा।

(6) यदि प्रत्याभूति को पूरी तरह या आंशिक रूप से भुनाया गया है, दावा किया गया है या विनियोजित किया गया है, तो नई प्राधिकृत इकाई ऐसी भुनाई, दावा की गई या विनियोजित प्रत्याभूति को उसके तीस दिन के भीतर पूरी रकम में बहाल करेगी।

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार, इस उप नियम में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी नई प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुज्ञा प्राप्त होने पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अधीन, ऐसी बहाली के लिए 10 दिन से अनधिक के एकमुश्त विस्तार की अनुज्ञा नहीं दे सकती है।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्याभूति को भुनाने, दावा करने या उसका विनियोग कर सकेगी, अर्थात् -

- (क) प्राधिकार फीस या प्राधिकार या समनुदेशन के अधीन देय किसी अन्य बकाया रकम का भुगतान न करने पर;
- (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने से उत्पन्न होने वाली बकाया रकम का भुगतान न करने पर; या
- (ग) प्राधिकार या समनुदेशन के किसी अन्य नियम या शर्त का उल्लंघन होने पर।

परंतु यह कि इस उप नियम के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी कर सकती है और इसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सकती है।

(8) प्राधिकार के प्रतिसंहरण, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, केंद्रीय सरकार उन सभी देय रकम की निकासी सुनिश्चित करने के बाद ही प्रत्याभूति जारी करेगी, जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई केंद्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

परंतु यह कि केंद्रीय सरकार को देय रकम का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, देय राशि को केंद्रीय सरकार को देय रकम की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप नियम (7) में प्रदान की गई प्रत्याभूति के नकदीकरण, दावे या विनियोग के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

54. प्राधिकार फीस का निर्धारण—(1) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकती है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारण" शब्द में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना सम्मिलित होगी।

(2) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए या एक ही दूरसंचार सेवा के लिए एक अलग सेवा क्षेत्र में एक से अधिक प्राधिकार रखती है, तो वह ऐसे प्रत्येक प्राधिकार के लिए अलग-अलग खाते और प्राधिकार फीस की गणना का अलग-अलग विवरण तैयार करेगा, उसे अनुरक्षित रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकार फीस की गणना से संबंधित अभिलेखों को बनाए रखेगा और संरक्षित करेगी:

परंतु यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई ऐसे अभिलेखों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना और संरक्षित करना चाहती है, तो वह केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसा कर सकती है, जो कि मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है, और ऐसे अनुमोदन को स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने पर, ऐसे अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार संरक्षित किया जाएगा:

परंतु यह कि, यदि किसी भी अवधि के लिए प्राधिकार फीस या कोई अन्य फीस विवाद के अधीन है, तो उक्त रिकॉर्ड को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि ऐसे विवाद का समाधान नहीं हो जाता।

(4) केंद्रीय सरकार, किसी भी समय, नई प्राधिकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या उन अभिलेखों तक पहुँच प्रदान करने का निदेश दे सकेगी जो ऐसी नई प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकार की शर्तों के अधीन रखती है, और वह नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेश का तत्काल पालन करेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, किसी नई प्राधिकृत इकाई के अभिलेखों की ऐसी संवीक्षा के अधीन कर सकेगी, जो वह अवधारित करे, जैसा वह प्राधिकार फीस और किसी अन्य प्रभागों सहित केन्द्रीय सरकार को देय रकम के स्वतंत्र सत्यापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से निर्धारित करे।

(6) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से चार महीने के भीतर नियम 52 के उप नियम (4) के अधीन अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों और सूचना और सुसंगत सामग्रियों की समीक्षा करने के बाद, सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकार फीस का निर्धारण कर सकती है।

परंतु यह कि, ऐसे निर्धारण के साथ आगे बढ़ने से पहले, केंद्रीय सरकार ऐसी नई प्राधिकृत इकाई को एक नोटिस जारी करेगी जो इसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(7) उप नियम (8) के अधीन प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम के अधीन कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(8) केंद्रीय सरकार संगत वित्तीय वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि के बाद और ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से छह वर्ष तक निर्धारण कर सकती है, यदि उसकी यह राय है कि निर्धारण से बची हुई रकम ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए दस लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के समतुल्य होने की संभावना है।

(9) उप नियम (7) और उप नियम (8) के अधीन गणना करने के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, किसी भी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के अनुसार ऐसे मूल्यांकन पर स्थगन की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(10) उप नियम (7) और उप नियम (8) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकार फीस का निर्धारण सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित किसी निष्कर्ष या निदेश के अनुसरण में किसी भी समय किया जा सकता है।

(11) केंद्रीय सरकार, प्राधिकार फीस का उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के लेखाओं और लेखापरीक्षा के संबंध में सभी या किसी कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के संबंध में उस नई प्राधिकृत इकाई को निदेश जारी कर सकेगी और वह नई प्राधिकृत इकाई ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

55. तकनीकी और परिचालन शर्तें—(1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल किसी ऐसे स्रोत से प्राप्त किया जाए जो अधिनियम की धारा 19 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानकों को पूरा करता हो और प्राधिकार के निबंधन और शर्तों और आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रचालित हो, जो केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी कर सकेगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत के भीतर अपना स्वयं का उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित कर सकती है या अन्य नई प्राधिकृत इकाईयों या अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्थापित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को पट्टे पर दे सकती है या किराए पर ले सकती है जो अपने संबंधित प्राधिकार या अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन ऐसे उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे को साझा करने के लिए पात्र हैं।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई नियम 50 के अधीन स्थापित अपने दूरसंचार नेटवर्क को सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क अथवा सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, कैप्टिव उपयोग के लिए इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, अपने उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे को नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ सकती है, जिसके पास इंटरनेट सेवाओं के लिए प्राधिकार है:

परंतु यह कि सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और इंटरनेट सेवाओं के लिए प्राधिकार रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क के बीच कनेक्शन एक नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त घरेलू पट्टे वाले सर्किट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, जिसके पास घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत कंपनी नियम 50 के अधीन स्थापित अपने दूरसंचार नेटवर्क को किसी अन्य नई प्राधिकृत इकाई अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित दूरसंचार नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

(6) एक नई प्राधिकृत इकाई, कैप्टिव उपयोग के लिए, भारत में अपने उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे को भारत के बाहर अपने कार्यालयों के साथ जोड़ सकती है, ताकि लागू विधि के अनुसार डाटा का अंतरण किया जा सके:

परंतु यह कि सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे और भारत के बाहर कार्यालयों के बीच ऐसा कनेक्शन एक नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट के माध्यम से स्थापित किया जाता है जिसके पास अंतरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट प्रदान करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है।

(7) प्रत्येक नया प्राधिकृत इकाई, सैटेलाइट नेटवर्क की स्थापना या प्रचालन से पहले, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और रीति से, केंद्रीय सरकार को आवेदन करेगी।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) अंतरिक्ष विभाग या इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य अभिहित अभिकरण द्वारा प्राधिकृत सुसंगत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता का मालिक होना; या

(ख) एक ऐसी इकाई के साथ एक समझौता करें जिसके पास अंतरिक्ष विभाग या इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य अभिहित अभिकरण द्वारा प्राधिकृत सुसंगत उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता है, जिसमें उप नियम (10) के अधीन निर्दिष्ट लागू करने योग्य दायित्व सम्मिलित हैं।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित घटनाओं की सूचना केंद्रीय सरकार को देगी और ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी कर सके, अर्थात् -

(क) अनधिकृत उपग्रह संकेत है कि यह भारत के भीतर उत्पन्न या समाप्त होने का पता लगा सकता है; तथा

(ख) भारत से किसी भी उपग्रह की अनधिकृत पहुंच जो उसके नियंत्रण या प्रचालन के अधीन हो सकती है जिसका उपयोग भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

(10) यदि कोई नई प्राधिकृत इकाई उप नियम (8) के खंड (ख) के अधीन एक समझौते में प्रवेश करती है, तो यह उप नियम (9) के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे समझौते में उस इकाई पर जिसके साथ ऐसे नये प्राधिकृत इकाई ने समझौता किया है, यह दायित्व हो कि वह उप नियम (9) में निर्दिष्ट किसी भी घटना की सूचना नई प्राधिकृत इकाई को तुरंत सूचित करे।

(11) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, केन्द्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण से निदेश प्राप्त होने पर, ऐसे ब्यौरे और सूचना उपलब्ध कराएगी, जो उसे अपेक्षित हो, जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं, अर्थात् -

(क) उपग्रह नेटवर्क का ब्यौरे, ऐसे प्रत्येक उपग्रह नेटवर्क के लिए उपग्रह पृथ्वी स्टेशन प्रवेश द्वार और संबंधित दूरसंचार नेटवर्क, उनके स्थान ब्यौरे के साथ; तथा

(ख) उप नियम (9) के अधीन विनिर्दिष्ट सुसंगत जानकारी सहित उपग्रह या अंतरिक्ष खंड क्षमता का ब्यौरे।

(12) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई एक या एक से अधिक अनुमत उपग्रह नेटवर्क या अंतरिक्ष खंड क्षमता का उपयोग कर सकती है, परंतु कि इस शर्त का अनुपालन किया जाए कि ऐसे प्रत्येक उपग्रह नेटवर्क और संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क के लिए उपग्रह भू-स्टेशन गेटवे भारत में स्थित है।

(13) प्रत्येक नया प्राधिकृत इकाई, अनुमत उपग्रह नेटवर्क में या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों में निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंड में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, पोर्टल पर, लिखित रूप में अपनी अनुमोदन के लिए आवेदन करेगी।

(14) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में स्थित उपयोक्ता टर्मिनलों से आरंभ होने वाले या उन पर समाप्त होने वाले उपग्रह नेटवर्क पर सभी यातायात ऐसी नई प्राधिकृत इकाई के भारत में स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे से होकर गुजरेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में स्थित उपयोक्ता टर्मिनल से आरंभ होने वाले या उस पर समाप्त होने वाले किसी भी यातायात को भारत के बाहर स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे के माध्यम से सीधे या अंतर-उपग्रह संचार लिंक के माध्यम से रूट नहीं किया जाता है, जिसमें भारत में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की विफलता के दौरान या दूरसंचार नेटवर्क अनुकूलन के हिस्से के रूप में सम्मिलित है;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि उपयोक्ता यातायात अंतर-उपग्रह संचार लिंक या किसी अन्य माध्यम से भारत के बाहर स्थित किसी भी उपग्रह नेटवर्क या सर्वर पर प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा;

(घ) खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय यातायात निगरानी सुविधा प्रदान करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करें कि एक या एक से अधिक उपग्रहों के माध्यम से दो या दो से अधिक उपयोक्ता टर्मिनलों के बीच कोई सीधा संचार नहीं होगा, उपग्रह पृथ्वी स्टेशन गेटवे के माध्यम से उपयोक्ता यातायात को रूट किए बिना; तथा

(च) हस्तक्षेप निगरानी के लिए कोई भी सूचना प्रदान करना और परीक्षण करना और इसके उपशमन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित आवश्यक कदम उठाना।

56. सुरक्षा शर्तें—(1) उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे, किसी नई प्राधिकृत इकाई के उपग्रह नेटवर्क से जुड़े उपयोक्ता टर्मिनलों के लिए प्रचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण सुविधा भारत में स्थित होगी।

(2) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि अनुमत उपग्रह नेटवर्क का उपयोग केवल कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाए और ऐसे उपग्रह नेटवर्क का उपयोग निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित किसी भी अनधिकृत कार्यकलापों के लिए या इस तरह से नहीं किया जाए जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

(3) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई, इस संबंध में जारी आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, वैध अवरोधन प्रणालियों और वैध अवरोधन निगरानी सुविधाओं के उपबंध के लिए अपने स्वयं के खर्च पर व्यवस्था करेगी।

(4) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू यातायात, या उसके किसी भी हिस्से को भारत के बाहर किसी भी स्थान से परिवहन या रूट नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण--इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश के माध्यम से पारगमन किए बिना घरेलू यातायात को प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए उपग्रहों के उपयोग को भारत के बाहर घरेलू यातायात को खींचने या रूट करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

(5) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत के भीतर उपग्रह नेटवर्क के उपयोक्ता टर्मिनलों के प्रचालनों की निगरानी करेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश प्राप्त होने पर, ऐसे उपयोक्ता टर्मिनलों की पहचान और स्थान से संबंधित ब्यौरे प्रदान करेगी।

(6) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई -

(क) सुनिश्चित करेगी कि उपयोक्ता टर्मिनलों के वास्तविक स्थान को छिपाने के लिए कोई स्थान स्पूफिंग उपस्कर, चाहे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उपयोक्ता टर्मिनलों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाए; तथा

(ख) अपने दूरसंचार नेटवर्क में ऐसे किसी भी उपस्कर की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए स्वचालित उपस्कर या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उपयुक्त तकनीकी उपायों को तैनात करेगी।

(7) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी उपयोक्ता टर्मिनल के लिए कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवाएं, निष्क्रिय मोड में या उपयोग में, बंद कर दी जाती हैं जब ऐसा उपयोक्ता टर्मिनल नियम 24 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट अवरोधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है।

(8) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई उन निदेशों और समय-सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी जो केंद्रीय सरकार अपने उपयोक्ता टर्मिनलों में भारतीय क्षेत्रीय नौचालन उपग्रह प्रणाली के माध्यम से पोजिशनिंग सेवाओं के उपबंध के संबंध में जारी कर सकती है।

(9) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई को भारत के बाहर के स्थान से अपने दूरसंचार नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार से अनुज्ञा लेनी होगी और ऐसी अनुज्ञा लेने के लिए उसे निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करना होगा, अर्थात्:

(क) इस तरह की दूरस्थ पहुंच का उद्देश्य और अवधि और उस व्यक्ति का ब्यौरे जो इसके दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंचेगी; तथा

(ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटवर्क के विशिष्ट स्थान का ब्यौरे, जहां तक भारत के बाहर विशिष्ट स्थान से दूरस्थ पहुंच मांगी जाती है।

(10) केंद्रीय सरकार, उपनियम (9) के अधीन किसी आवेदन के अनुसरण में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत के बाहर अनुमोदित स्थानों से भारत के भीतर अनुमोदित स्थानों के माध्यम से ही दूरस्थ पहुंच प्रदान करेगी और ऐसी अनुज्ञा के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्य तक सीमित होगी।

- (ख) दूरसंचार नेटवर्क तक रिमोट एक्सेस वैध इंटरसेप्शन सिस्टम और वैध इंटरसेप्शन और निगरानी सुविधाओं, कॉल डाटा रिकॉर्ड, संदेशों की सामग्री और ऐसे किसी भी अन्य संवेदनशील डाटा तक पहुंच को सक्षम नहीं करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकती है जो वह इस संबंध में जारी कर सकती है।
- (ग) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर उपयुक्त तकनीकी प्रणालियाँ प्रदान करेगी जो भारत के बाहर अनुमोदित स्थान से जुड़ी है ताकि केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार, भारत के बाहर अनुमोदित स्थान पर उपलब्ध जानकारी की दर्पण छवि तक पहुंच और निगरानी कर सके।
- (घ) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर छह महीने की अवधि के लिए दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित रिमोट एक्सेस गतिविधियों के पूर्ण ऑडिट ट्रेल को बनाए रखेगी, और केंद्रीय सरकार या अभिहित अभिकरण को इस संबंध में जारी किए जा सकने वाले निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसी जानकारी प्रदान करेगी।

भाग घ

कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार

57. भाग घ की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होगा जो कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार रखता है, और इस भाग में अन्यथा स्पष्ट किए गए को छोड़कर, पद "नई प्राधिकृत इकाई" के किसी भी संदर्भ का अर्थ है ऐसी नई प्राधिकृत इकाई जो कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार रखती है।

58. कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार की परिधि—(1) कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार में कैप्टिव उपयोग के लिए एक नई प्राधिकृत इकाई द्वारा वायरलाइन और वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क सहित दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने के लिए प्राधिकार सम्मिलित है।

(2) इस प्राधिकार के विस्तार में ऐसी कैप्टिव दूरसंचार सेवा सम्मिलित नहीं होंगी जिनके लिए इन नियमों के अधीन एक अलग प्राधिकार प्रदान किया गया है।

59. फीस और प्रभार—नई प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकार फीस देय नहीं होगा।

60. तकनीकी और परिचालन शर्तें—प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क को सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क, सार्वजनिक भूमि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट टेलीफोनी नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क से नहीं जोड़ेगी।

अध्याय VII

विविध

61. भंग—(1) नई प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन अधिनियम की धारा 32 में उल्लिखित उल्लंघन माना जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उप धारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त सिफारिशों पर उचित विचार करने के बाद और नए प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अधिनियम की धारा 32 की उप धारा (2) के अधीन प्राधिकार के निलंबन, प्रतिसंहरण या कटौती का आदेश जारी कर सकती है।

(3) उप नियम (2) के अधीन प्रत्येक आदेश को केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से इकतीसवें दिन से प्रभावी होगा।

62. डिजिटल कार्यान्वयन—केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, इन नियमों को डिजिटल कार्यान्वयन के लिए, जिसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी रूप, तरीके, आदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना शामिल है, एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है।

अनुसूची

कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकारों के लिए प्रोसेसिंग फीस, प्रवेश फीस और प्रारंभिक प्रत्याभूति

[नियम 6(2)(क), 7(2)(क)(i), 13(1), 40(3), 53(3) देखें]

क्रम संख्या	सेवा प्राधिकार	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	प्रवेश फीस (रुपये में)	प्रारंभिक प्रत्याभूति (रुपये में)
1.	कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रकिंग सेवा प्राधिकार	10,000	शून्य	20,000
2.	कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क सेवा प्राधिकार	10,000	शून्य	शून्य
3.	कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्राधिकार	10,000	7.5 लाख	3 लाख
4.	कैप्टिव सामान्य सेवा प्राधिकार	शून्य	शून्य	शून्य

[फा. सं. 24-08/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2026

G.S.R. 511(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 614(E), dated the 10th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 12th September, 2025;

And whereas, the said period was extended to the 21st October, 2025, and comments and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 56 read with clause (a) of sub-section (1) and sub-section (6) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (b) “captive general services” means the telecommunication services referred to in rule 58;
- (c) “captive general service authorisation” means the authorisation to provide captive general services;
- (d) “captive mobile radio trunking services” means a type of land mobile service for captive use that enables two-way telecommunication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated temporarily for duration of the call, from a designated spectrum band assigned to a repeater station, and the expression “captive mobile radio trunking service network” shall be construed accordingly;
- (e) “captive mobile radio trunking service authorisation” means an authorisation to provide captive mobile radio trunking services;
- (f) “captive non-public network service authorisation” means an authorisation to provide captive non-public network;
- (g) “captive telecommunication services” means the telecommunication services specified under rule 4;
- (h) “captive very small aperture terminal services” means the telecommunication services referred to in sub-rule (1) of rule 50;
- (i) “captive very small aperture terminal service authorisation” means an authorisation to provide captive very small aperture terminal services;
- (j) “designated agency” means any person designated as such by the Central Government for the purposes of the rule under which he is designated;
- (k) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 7;
- (l) “new authorised entity”, means an authorised entity that has—
 - (i) obtained an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act; or
 - (ii) migrated to the terms and conditions of an authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act;
- (m) “overlapping license or authorisation” means the license or authorisation held by an applicant, the scope and service area of which would be covered in its entirety within the scope and service area of the authorisation in respect of which an application is submitted under rule 6;
- (n) “portal” means the portal referred to in rule 62;
- (o) “Schedule” means the schedule annexed to these rules; and
- (p) “service area” means the geographical area in respect of which authorisation for provision of telecommunication services is granted, which may be national service area or a geographical area within the national service area.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—(1) These rules provide for the terms and conditions of authorisation, which shall apply to the following, namely:—

- (a) authorisation for providing captive telecommunication services under sub-section (1) of section 3 of the Act; and
- (b) the relevant authorisation to the terms and conditions of which a new authorised entity has migrated to under sub-section (6) of section 3 of the Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and the rules and regulations made thereunder shall continue to apply in respect of a new authorised entity.

CHAPTER II

CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES AND GRANT OF AUTHORISATION

4. **Captive telecommunication services.**—Any person intending to provide any of the following telecommunication services (hereinafter referred to as “captive telecommunication services”) may apply to the Central Government under rule 6 to obtain authorisation to provide such services, in respect of the service area specified for the same, namely:—

- (a) captive mobile radio trunking services for a geographical area within the national service area; or
- (b) captive non-public network for the national service area; or
- (c) captive very small aperture terminal services for national service area; or
- (d) captive general services for a geographical area within the national service area.

5. **Eligibility.**—A person specified in clause (a) or (b), who also fulfils the condition specified in clause (c), shall be eligible to apply for authorisation under rule 6, namely:—

- (a) it is a company—
 - (i) in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law; and
 - (ii) the general character of whose management is sound in terms of its track record in providing telecommunication services or in establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks in a responsible manner;
- (b) it is—
 - (i) a Central Government Department;
 - (ii) a State Government Department;
 - (iii) a legislative body or its offices;
 - (iv) a Court;
 - (v) an administration of any Scheduled Areas or Scheduled Tribal Areas or any agency or autonomous organisation of such administration; or
 - (vi) any other Government-controlled entity;
- (c) it has no pending dues:

Provided that if a person is applying to obtain captive general service authorisation, it shall not be a private limited company or a company other than a government company:

Provided further that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary in public interest so to do, exempt or relax any condition under this rule.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expressions—

- (a) “Court” means—
 - (i) a court of law; and
 - (ii) other adjudicatory body, established by or under the Constitution or any law for the time being in force in the whole or any part of India,
 and includes the registry, secretariat or office thereof;
- (b) “government company” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (c) “other Government-controlled entity” means a body, whether incorporated or not, which is under the overall control of a Central Government Department or a State Government Department, and includes—
 - (i) an autonomous body; and
 - (ii) a not-for-profit government company.

6. Application for authorisation.—(1) A person intending to obtain an authorisation under these rules shall submit an application on the portal, in such form, manner and accompanied by such documents as specified therein.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

- (a) a non-refundable processing fee as specified in Schedule; and
- (b) in case of a company, a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as may be specified on the portal, certifying that it meets the eligibility criteria under rule 5.

(3) If the applicant holds any overlapping license or authorisation, it shall relinquish such existing overlapping license or authorisation as required under these rules.

(4) If the pending dues referred to in clause (c) of rule 5 are subject to ongoing legal proceedings in which there is a judicial order injunction payment of such dues, the applicant shall—

- (a) comply with the conditions that may have been imposed in such order; and
- (b) submit an undertaking to make payments, with interest thereon, subject to the outcome of such proceedings,

and submit with its application a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying compliance with this sub-rule.

(5) Any application made for grant of a license or letter of intent for grant of a license that may have been issued under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), prior to the commencement of these rules, shall lapse if the license under the said Act pursuant to such application or letter of intent had not been issued prior to commencement of these rules.

(6) An applicant to whom a letter of intent has lapsed under sub-rule (5) may make an application for grant of authorisation under sub-rule (1):

Provided that any non-refundable processing fee or entry fee paid or bank guarantee furnished pursuant to such letter of intent may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of any processing fee or entry fee or submission of guarantee required under these rules, as the case may be, while paying or submitting fee or guarantee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid or submitted previously.

7. Grant of authorisation.—(1) On receipt of an application under rule 6, the Central Government may, make such inquiry as it deems fit regarding the eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for.

(2) The Central Government may,—

- (a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including—
 - (i) payment of entry fee and submission of an unconditional and irrevocable guarantee for such authorisation of an amount specified in Schedule or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, as the case may be; and
 - (ii) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the portal, relinquishing the overlapping license or authorisation, if any, from the effective date of authorisation:

Provided that the applicant seeking authorisation in respect of captive mobile radio trunking services for services including police, fire or government security services, or any Central Government Department seeking to obtain authorisation for captive very small aperture terminal services shall be exempted from the requirement of submission of any guarantee under sub-clause (i) of clause (a); or

(b) reject the application.

(3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central Government may grant an authorisation through the portal while specifying, among other things,—

- (a) its scope;
- (b) the service area and the duration for which the authorisation is granted; and
- (c) effective date of authorisation:

Provided that—

- (i) the Central Government may, in respect of applications for obtaining authorisation for captive very small aperture terminal services, undertake security vetting through the appropriate authority responsible for satellite network clearance as it may deem fit, prior to grant of authorisation; and

- (ii) the authorisations for captive non-public network and captive general services shall be granted to eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent.

(4) Each authorisation granted under these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations for same captive telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service area without any restriction on the number of new authorised entities.

(5) Every new authorised entity that has been granted authorisation under these rules may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions for such assignment under such law.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under these rules shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on the new authorised entity.

8. Overlapping license or authorisation.—(1) A new authorised entity shall not be permitted to hold any overlapping license or authorisation.

(2) The relinquishment of an overlapping license or authorisation, if any, shall be without prejudice to any rights and liabilities arising from such license or authorisation, as the case may be, and in particular, shall not affect the following, namely:—

- (a) rollout obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such overlapping license or authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the relinquishment, as the case may be; and
- (b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to such overlapping license or authorisation, shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless the Central Government determines otherwise in public interest.

Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions—

1. “resource” means—
 - (a) the telecommunication identifiers already allocated;
 - (b) spectrum assigned to the new authorised entity;
 - (c) certificate of compliance held by the new authorised entity in respect of the overlapping license or authorisation; and
2. “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of roll-out obligations, clearances, approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the new authorised entity, and other permissions including for remote access and gateway permissions.

CHAPTER III

GENERAL CONDITIONS

9. Duration of authorisation.—The duration of each authorisation granted under rule 7 shall be such as is specified under the said rule, subject to a maximum of twenty years and the provisions of rules 14, 15 and 61.

10. Continuing adherence to eligibility conditions.— Every new authorised entity shall, throughout the duration of authorisation, adhere to the conditions specified under rule 5.

11. Reporting and disclosure obligations.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) submit the following to the Central Government every year, on such date and accompanied by a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form and manner as specified on the portal, certifying—
 - (i) the details of its Indian and foreign equity, both direct and indirect;
 - (ii) the details of persons having control over it; and
 - (iii) compliance with rule 10:

Provided that the Central Government may exempt new authorised entities that have turnover not exceeding such amount as may be specified on the portal from the requirement to make such submission.

Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), direct and indirect foreign equity shall be determined in accordance with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment;

(b) report any change in respect of the following to the Central Government on the portal, namely:—

- (i) change in its shareholders resulting from an acquisition, which shall be reported within fifteen days from the date of such change:

Provided that in relation to a new authorised entity that is listed on the stock exchange, only such change in shareholdings as is required to be disclosed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the bye-laws or listing conditions of the stock exchange concerned, shall be required to be reported under this sub-clause;

- (ii) change in the name under which it has been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) accompanied by certified copy of the certificate of such registration, which shall be reported within thirty days from the date of issue of such certificate; and
- (iii) change in its details, including in respect of foreign equity, control, address and contact details and any other such material change in the details, submitted previously, which shall be reported within fifteen days of such change; and

(c) furnish to the Central Government such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as the Central Government may require such new authorised entity to furnish, which shall be furnished within such period as the Central Government may specify.

(2) Every new authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the designated agency, in such form and manner as specified on the portal, the details of a nodal person of such new authorised entity, based in India, who shall be responsible for providing any report or information or extending support as required under these rules.

(3) If there is admission of an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a new authorised entity under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), such new authorised entity shall—

- (a) within forty-eight hours of such admission, inform the Central Government in this regard in writing; and
- (b) forthwith furnish to the Central Government, a copy of the Order of the National Company Law Tribunal admitting such application.

12. Transfer.—(1) An authorisation may be assigned or transferred only with previous approval of the Central Government in writing, pursuant to a merger, demerger, acquisition or other form of restructuring under applicable law.

(2) Save as provided in sub-rule (1), a new authorised entity shall not—

- (a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation granted to it;
- (b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer; or
- (c) create any interest in such authorisation in favour of a third party.

13. Renewal.—(1) Every new authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner as specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, accompanied by the processing fee as specified in the Schedule.

(2) On receipt of a written request from the new authorised entity, the Central Government may permit an application after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as the Central Government may decide in response to such request.

(3) The Central Government may, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the authorisation for such period as may be decided by the Central Government, subject to a maximum of twenty years.

(4) Every renewal of authorisation under sub-rule (3) shall be subject to the applicable law at the time of such renewal.

14. Revocation of authorisation.—(1) The Central Government may, without prejudice to any action that may be taken under section 21 of the Act, by order, revoke an authorisation in the following circumstances, namely:—

- (a) if, at any stage it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by a new authorised entity with or during the processing of an application for authorisation were false;

- (b) if, a new authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up; or
- (c) if, the Telecom Regulatory Authority of India, in accordance with the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), recommends revocation of authorisation.

(2) Prior to issuing any order under sub-rule (1) on occurrence of any event specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (1), the Central Government shall give an opportunity of being heard to the new authorised entity referred to in sub-rule (1).

(3) Every order under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the thirty-first day from the date of publishing of such order.

15. Surrender of authorisation.—(1) A new authorised entity seeking to surrender an authorisation, shall submit an application, in such form and manner as specified on the portal, accompanied by an undertaking and other information as may be specified on the portal.

(2) The Central Government may, approve or reject an application submitted under sub-rule (1), and if approved, the effective date of surrender shall be the thirty-first day from the date of approval of such application.

(3) The details relating to the authorisation that is surrendered by the new authorised entity shall be published by the Central Government on the portal.

(4) Every new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under such authorisation.

(5) Every new authorised entity shall pay all amounts due and payable to the Central Government till the effective date of surrender referred to in sub-rule (2), including in respect of authorisation fees.

16. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation.—On revocation, surrender or expiry of the authorisation held by a new authorised entity,—

- (a) the spectrum assigned in respect of such authorisation, if any, to such entity shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry; and
- (b) such entity shall manage its radio equipment in accordance with applicable law.

17. Consequence of migration.—(1) If a new authorised entity submits an application for migration under the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026, the relinquishment of any overlapping authorisation of such new authorised entity shall become effective on the effective date of such migration.

(2) The relinquishment of the overlapping authorisation shall be without prejudice to rights and liabilities arising from such overlapping authorisation, which shall remain applicable in accordance with the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026.

18. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amounts payable by a new authorised entity to the Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation of the guarantee.

(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity of such set-off.

19. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

20. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, require a new authorised entity to furnish such information as it may call for.

21. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such period and subject to such terms and conditions as it may decide.

22. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute the terms and conditions applicable to every new authorised entity.

CHAPTER IV

TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

23. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity that holds an authorisation under these rules, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clauses (b) or (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act:

Provided that in respect of assignment and use of spectrum, sub-rule (5) of rule 7 shall apply.

(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand the telecommunication network for captive use of telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act and rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication network and captive telecommunication services are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, that the Central Government may notify under section 19 of the Act.

(3) Every new authorised entity shall furnish technical details of captive telecommunication services and the telecommunication network being used for such captive telecommunication services, including the details of technology deployed by it to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.

(4) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way, for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance, operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that such new authorised entity may take telecommunication network, passive telecommunication infrastructure or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other new authorised entities or licensees.

(5) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the roll-out obligations or non-compliance with any other obligations under these rules.

(6) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in respect of the following, namely:—

- (a) deployment of energy efficient telecommunication equipment; and
- (b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment.

24. Location of telecommunication network elements.—(1) Every new authorised entity shall, prior to establishment or expansion of telecommunication network in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, apply to the Central Government on the portal, for its approval.

(2) The Central Government may specify restrictions on the use of captive telecommunication services in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India or any other areas as may be specified on the portal.

(3) Every new authorised entity shall ensure that all systems of its telecommunication network are located within its service area of authorisations.

(4) Every new authorised entity shall ensure that all data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India.

25. Sharing of telecommunication network and infrastructure.— Every new authorised entity that holds different authorisations under these rules may share its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network.

26. Commencement of captive telecommunication services.—Every new authorised entity shall intimate to the Central Government, the date of commencement of provision of captive telecommunication service within fifteen days of such commencement.

27. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to the new authorised entity—

- (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established;
- (b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules:

Provided that no notice shall be provided to that new authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest:

Provided further that the Central Government may appoint a designated agency to audit processes or systems established by that new authorised entity for compliance of these rules, on such charges that the Central Government may determine, which shall be payable by that new authorised entity:

Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user:

Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final.

(2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

CHAPTER V

SECURITY CONDITIONS

28. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:—

- (a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens;
- (b) the chief officer in charge of telecommunication network, security and system administrators of such new authorised entity shall be resident Indian citizens.

(2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign nationals by the Ministry of Home Affairs in the Government of India—

- (a) prior to the appointment of such foreign nationals to the positions of the chairman, managing director, chief executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the duration of such appointment; and
- (b) prior to the deployment of such foreign national for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.

(3) Every new authorised entity shall apply for the security vetting provided in sub-rule (2), in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in the Government of India in this regard shall be binding on such new authorised entity.

29. Maintenance of records.—Every new authorised entity shall maintain all commercial records, subscriber data record, call data record or call detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar records for all captive telecommunication services provided by it, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.

30. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall take adequate measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network are secure and protected.

(2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place.

31. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.— Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing captive telecommunication services for which it is authorised, to *bona fide* users and not for undertaking any activities or commissioning any action, that constitutes an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

32. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose.

(2) The designated authority shall specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).

(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2).

(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment may be undertaken.

(5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain and expand only trusted products in its telecommunication network.

(6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority, provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.

(7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process, namely:—

- (a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority,—
 - (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and
 - (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the locations of deployment of the same;
- (b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
- (c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under clause (b), such new authorised entity shall proceed to procure and install the same;
- (d) such new authorised entity shall adhere to such directions or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks that the Central Government or the designated authority may issue in this behalf.

(8) The new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain and security-related information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, on receiving a request from the Central Government or the designated authority.

(9) The new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein.

(10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new authorised entities.

33. Prohibition of certain activities.—(1) A telecommunication network of a new authorised entity shall not be used for transmission of—

- (a) messages which are illegal or unauthorised as per applicable law, including rules made under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); or
- (b) message infringing copyright and intellectual property right in any form.

(2) The new authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of message in violation of sub-rule (1), in its telecommunication network, on receipt of any information, order, direction or guidelines from the Central Government or an order of the Court.

(3) The new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law.

(4) The new authorised entity shall not provide any commercial or public telecommunication services to users other than for its captive use.

34. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall—

- (a) ensure security of its telecommunications network;
- (b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity; and

- (c) ensure capability to suspend captive telecommunication services in such areas as may be specified on the portal.
- (2) Every new authorised entity shall, at its own cost, make arrangements for provisioning of monitoring facilities in accordance with such orders, directions or guidelines that the Central Government or the designated agency may issue in this regard.
- (3) Every new authorised entity shall adhere to maps provided by the Survey of India for the precise delineation of service area of authorisation along international borders, if any.
- (4) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules.

CHAPTER VI

SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES

- 35. Applicability of Chapter VI.**—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter V, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity establishing telecommunication network for captive use of captive telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter.
- (2) In the event of any conflict between the provisions of Chapters I to V and Chapter VI, the rules mentioned in Chapter VI shall prevail to the extent of such conflict.

PART A

CAPTIVE MOBILE RADIO TRUNKING SERVICE AUTHORISATION

36. Applicability of Part A.—This Part shall apply to the new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation.

37. Scope of captive mobile radio trunking service authorisation.—(1) The captive mobile radio trunking service authorisation consists of authorisation for captive mobile radio trunking services.

(2) The new authorised entity that holds a captive mobile radio trunking service authorisation shall use the authorisation for establishing, operating, maintaining and expanding captive mobile radio trunking service network for its own captive use within the geo-coordinates of the service area, and not for providing public mobile radio trunking service or any other telecommunication service which require a separate authorisation from the Central Government.

38. Fees and charges.—(1) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for captive mobile radio trunking service authorisation, from the effective date of such authorisation which shall be three hundred rupees per user terminal subject to minimum of five thousand rupees and the amounts specified in sub-rules (2) to (4), as applicable:

Provided that such new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation for services including police, fire or government security service shall be exempted from the requirement to pay any annual authorisation fee.

(2) From the fourth year of the effective date of authorisation, and for each subsequent year the authorisation fee shall be higher of—

- (a) three hundred rupees per user terminal; or
- (b) twenty-five thousand rupees.

(3) In the event of renewal of the authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of—

- (a) three hundred rupees per user terminal; or
- (b) twenty-five thousand rupees.

(4) In the event of migration of license to the terms and conditions of captive mobile radio trunking service authorisation,—

- (a) if the license has been operational for less than three years from the effective date of license up to the period during which the combined operation under the license and authorisation equals three years, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—
 - (i) three hundred rupees per user terminal; or
 - (ii) five thousand rupees.

Explanation.—In this clause, operation under the license for part of a year shall be reckoned as a full year; and

(b) in all other cases, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—

- (i) three hundred rupees per user terminal; or
- (ii) twenty-five thousand rupees.

(5) The rate of authorisation fee as specified in this Part may be varied at any time within the duration of the authorisation.

39. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner, namely:—

- (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected number of user terminals in use for that quarter:

Provided that such new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of number of user terminals in use at the end of each month, which shall be added for all the months of a relevant quarter and divided by the number of months:

Provided that for a period that is less than a month, the number of user terminals for that month shall be calculated on a pro-rata basis by using factor of actual number of days under the authorisation against total number of days in the month.

(4) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of computation of authorisation fee for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney:

Provided that in case of entities under clause (b) of rule 5, such self-certificate and statement may be signed and electronically verified by an officer duly authorised in accordance with the internal procedure applicable to such offices.

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely, first of April, plus two per cent. compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal.

40. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:—

- (a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution with a minimum validity period of one year from the date of its issuance;
- (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or
- (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government:

Provided that a new authorised entity that holds captive mobile radio trunking service authorisation for managing police, fire or government security service, shall be exempt from the requirement to submit the guarantee under this sub-rule.

(2) The purpose of the guarantee as specified under sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each captive mobile radio trunking service authorisation in the Schedule or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of—

- (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of captive mobile radio trunking service authorisation in the Schedule; or
- (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with such procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:—
 - (i) authorisation fee payable for two quarters;
 - (ii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) Every new authorised entity shall extend the validity period of the guarantee submitted under this rule by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:

Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in any of the following cases, namely:—

- (a) non-payment of authorisation fee or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:

Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.

(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.

41. Assessment of authorisation fees.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees in accordance with such procedure as may be specified on the portal.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and recomputation.

(2) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation for each authorisation.

(3) Every new authorised entity shall maintain and preserve records relevant to the calculation of authorisation fee for every financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the end of relevant financial year:

Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided further that if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.

(4) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the records that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.

(5) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees and any other charges.

(6) If a new authorised entity fails to submit the required documents under sub-rule (4) of rule 39 within four months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis:

Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(7) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (8).

(8) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of ten lakh rupees or more for such financial year.

(9) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (7) and sub-rule (8), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(10) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) and sub-rule (8), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(11) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, issue directions to new authorised entity, in respect of all or any captive telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions.

42. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity shall not connect its captive mobile radio trunking service network with public switched telephone network, public land mobile network, internet telephony network or internet network.

(2) Every new authorised entity shall not interconnect its captive mobile radio trunking service network with the captive telecommunication network of any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license.

(3) A new authorised entity may establish connectivity amongst its repeater stations within the service area.

(4) A new authorised entity may shift the location of a repeater station from one location to another within the geographical area for which spectrum has been assigned:

Provided that the radio coverage resulting from such shifting of location of the repeater station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.

(5) A new authorised entity may install additional repeater stations within the geographical area for which spectrum has been assigned, after obtaining the prior approval of the Central Government in writing, by making an application on the portal, in respect of—

(a) additional block of frequencies for the new repeater station; or

(b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new repeater station by way of partial shifting of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies:

Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional repeater station, shall remain within the geographical area for which spectrum has been assigned.

(6) Every new authorised entity may replace its radio equipment or user terminals, after giving prior intimation to the Central Government on the portal.

(7) Every new authorised entity shall ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and relevant orders, directions or guidelines, that the Central Government may issue in this behalf.

43. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity shall rollout the telecommunication network for captive mobile radio trunking services, including establishment of at least one repeater station in the geographical area for which spectrum has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such assignment.

(2) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of compliance of rollout obligations as specified in sub-rule (1), as per the norms that may be specified on the portal.

(3) On successful verification under sub-rule (2), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations.

(4) In case of failure on verification in sub-rule (2), the new authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such case, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation.

(5) Any failure to adhere to the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the provisions of Chapter VIII of the Act:

Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government shall consider the same as timely fulfilment of rollout obligations.

(6) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for captive mobile radio trunking services shall be subject to relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment.

PART B

CAPTIVE NON-PUBLIC NETWORK SERVICE AUTHORISATION

44. Applicability of Part B.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds captive non-public network service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive non-public network service authorisation.

45. Scope of captive non-public network service authorisation.—(1) The captive non-public network service authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand captive non-public network in a geographical area within the national service area, limited to geo coordinates of logical perimeter of the occupied premise, owned or leased, by a new authorised entity for captive non-public use.

(2) A new authorised entity may establish a new captive non-public network at a different geographical area within the national service area, limited to geo-coordinates of the logical perimeter of such occupied premise, after giving prior intimation to the Central Government on the portal, accompanied by the details of the geo-coordinates of logical perimeter of such geographical area.

(3) A new authorised entity that has captive non-public network at more than one geographical area within the national service area shall require only one captive non-public network service authorisation.

(4) A new authorised entity shall not use its telecommunication network to provide any commercial or public telecommunication service.

46. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

47. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall not connect its captive non-public network with public switched telephone network, public land mobile network, internet telephony network or internet network.

(2) The new authorised entity may connect its captive non-public networks established at multiple geographical locations through domestic leased circuits obtained from other new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide domestic leased circuit.

(3) The new authorised entity shall not interconnect its captive non-public network with a captive telecommunication network established by any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license.

(4) Every new authorised entity shall ensure that the radio signals of each captive non-public network are restricted within the geo coordinates of the logical perimeter of the occupied premise.

(5) Every new authorised entity shall ensure that there is no harmful interference to the telecommunication network established by any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, and where any such interference is detected, it shall adhere to such measures as the Central Government may direct in this behalf.

48. Assignment and use of spectrum.—(1) Every new authorised entity that has been granted authorisation under this Part may obtain access spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions under such law,—

- (a) on lease from new authorised entity or licensee authorised to provide access services (hereinafter referred to as lessor); or
- (b) directly from the Central Government:

Provided that the new authorised entity shall obtain separate access spectrum for each geographical area only after prior intimation of establishing captive non-public network for each geographical area as per sub-rule (2) of rule 45.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under this Part shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity.

(2) Every new authorised entity that holds captive non-public network service authorisation shall ensure that the contract for leasing of access spectrum specify the following conditions, namely:—

- (a) periodic inspections of its premises by the lessor to check possible misuse of the captive non-public network or service; and
- (b) if the lessor detects any misuse under clause (a), it shall forthwith withdraw such leased spectrum and communicate the same to the Central Government in writing within twenty-four hours of detection of such misuse.

PART C

CAPTIVE VERY SMALL APERTURE TERMINAL SERVICE AUTHORISATION

49. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds captive very small aperture terminal service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive very small aperture terminal service authorisation.

50. Scope of captive very small aperture terminal service authorisation.—(1) The captive very small aperture terminal service authorisation consists of authorisation for the following, namely:—

- (a) establish, operate, maintain or expand satellite network for captive use of telecommunication services using very small aperture terminal or earth station in motion; and
- (b) establish data connectivity, using the telecommunication network established under clause (a), amongst its own offices or sites.

(2) The new authorised entity that holds a captive very small aperture terminal service authorisation shall not use its telecommunication network to provide any commercial or public telecommunication service.

51. Fees and charges.—(1) Every new authorised entity that holds captive very small aperture terminal service authorisation shall pay an annual authorisation fee of ten thousand rupees per very small aperture terminal including earth station in motion installed, from the effective date of such authorisation.

(2) In the event of renewal of the authorisation or migration of a license to the terms and conditions of captive very small aperture terminal service authorisation, the authorisation fee shall be the amount specified in sub-rule (1) from the effective of renewal or migration, as the case may be.

(3) The rate of authorisation fee as specified in this Part may be varied at any time within the duration of the authorisation.

52. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined as per these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner, namely:—

- (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and
- (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected number of very small aperture terminals including earth station in motion in use for that quarter:

Provided that such new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of number of very small aperture terminals including earth station in motion in use at the end of each month, which shall be added for all the months of a relevant quarter and divided by the number of months:

Provided that for a period that is less than a month, the number of very small aperture terminals including earth station in motion for that month shall be calculated on a pro-rata basis by using factor of actual number of days under the authorisation against total number of days in the month:

Provided further that the machine-to-machine or internet of things devices, used in any architecture including direct-to-satellite, shall not be treated as very small aperture terminal for the purpose of calculating the authorisation fee.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule—

1. very small aperture terminals shall include all types of very small aperture terminals including user terminals that can only receive or only transmit, or do both; and
2. the authorisation fee shall be based on total number of very small aperture terminals including earth station in motion irrespective of number of hubs in the network and without levy of any minimum authorisation fee.

(4) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate, and a statement of computation of authorisation fee for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney:

Provided that in case of entities under clause (b) of rule 5, such self-certificate and statement may be signed and electronically verified by an officer duly authorised in accordance with the internal procedure applicable to such offices.

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal.

53. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:—

- (a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution with a minimum validity period of one year from the date of its issuance;
- (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or
- (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government:

Provided that any Central Government Department that holds captive very small aperture terminal service authorisation shall be exempted from the requirement of submission of any guarantee.

(2) The purpose of the guarantee as specified under sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each captive very small aperture terminal service authorisation in the Schedule or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of—

- (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of captive very small aperture terminal service authorisation in the Schedule, or
- (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:—
 - (i) authorisation fee payable for two quarters;
 - (ii) any other dues that are not otherwise secured.

(4) Every new authorised entity shall extend the validity period of guarantee submitted under this rule, by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the authorisation or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:

Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:—

- (a) non-payment of authorisation fee or any other dues payable under the authorisation or assignment;
- (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
- (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:

Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.

(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.

54. Assessment of authorisation fees.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees in accordance with such procedure as may be specified on the portal.

Explanation.—For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation.

(2) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and separate statement of computation of authorisation fee for each such authorisation.

(3) Every new authorised entity shall maintain and preserve records relevant to the calculation of authorisation fee for every financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the end of relevant financial year:

Provided that, if a new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and on

such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided further that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.

(4) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the records that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.

(5) The Central Government may, at any time, subject the records of any new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.

(6) If any new authorised entity fails to submit the required documents under sub-rule (4) of rule 52 within four months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis:

Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(7) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year, except as provided under sub-rule (8).

(8) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of ten lakh rupees or more for such financial year.

(9) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (7) and sub-rule (8), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(10) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) and sub-rule (8), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(11) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee, issue directions to the new authorised entity, in respect of all or any captive telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions.

55. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall ensure that the very small aperture terminal is obtained from any source that meets the standards notified by the Central Government under section 19 of the Act and operated in accordance with the terms and conditions of the authorisation, and orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in this behalf.

(2) Every new authorised entity may establish its own satellite earth station gateway within India or lease or hire the satellite earth station gateway established by other new authorised entities or licensees that are eligible for sharing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisation or license.

(3) Every new authorised entity shall not connect its telecommunication network established under rule 50 with public switched telephone network or public land mobile network.

(4) Every new authorised entity may, to avail of internet services for captive use, connect its satellite earth station gateway with the telecommunication network of the new authorised entity, that holds authorisation for internet services:

Provided that the connection between the satellite earth station gateway and the telecommunication network of the new authorised entity that holds authorisation for internet services shall be established through a domestic leased circuit obtained from a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide domestic leased circuit.

(5) Every new authorised entity shall not interconnect its telecommunication network established under rule 50 with a telecommunication network established for providing captive very small aperture terminal services by any other new authorised entity or licensee.

(6) A new authorised entity may, for captive use, connect its satellite earth station gateway in India with its offices outside India for the purpose of transferring data in accordance with applicable law:

Provided that such connection between the satellite earth station gateway and offices outside India is established through an international private leased circuit obtained from a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide international private leased circuit.

(7) Every new authorised entity shall, prior to establishing or operating a satellite network, apply to the Central Government, in such form and manner as specified on the portal.

(8) Every new authorised entity shall—

- (a) own the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India or any other designated agency specified for this purpose; or
- (b) enter into an agreement with an entity that has the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India or any other designated agency specified for this purpose, that contains enforceable obligations as specified under sub-rule (10).

(9) Every new authorised entity shall report the following incidents to the Central Government, and shall adhere to such directions that the Central Government may issue in this behalf, namely:—

- (a) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and
- (b) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is being used to provide service outside India.

(10) If a new authorised entity enters into an agreement under clause (b) of sub-rule (8), it shall, for the purposes of compliance with sub-rule (9), ensure that such agreement provides for an obligation on the entity, with whom such new authorised entity has entered into agreement, to forthwith inform that new authorised entity of any incident referred to in sub-rule (9).

(11) Every new authorised entity shall, on receipt of a direction from the Central Government or the designated agency, provide such details and information as it may require, including the following, namely:—

- (a) details of the satellite network, the satellite earth station gateway for each such satellite network and the associated telecommunication network, accompanied by their location details; and
- (b) details of the satellite or space segment capacity, including relevant information as specified under sub-rule (9).

(12) Every new authorised entity may use one or more permitted satellite network or space segment capacity, subject to compliance with the condition that the satellite earth station gateway for each such satellite network and the associated telecommunication network is located in India.

(13) Every new authorised entity shall, prior to undertaking any change in the permitted satellite network or in frequency band as specified in the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, apply on the portal, for its approval in writing.

(14) Every new authorised entity shall—

- (a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals located in India shall pass through a satellite earth station gateway, located in India, of such new authorised entity;
- (b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via satellite earth station gateways located outside India directly or through inter-satellite communication links, including during failure of satellite earth station gateway in India or as part of telecommunication network optimisation;
- (c) ensure that the user traffic shall not be mirrored to any satellite network or server located outside India through inter satellite communication links or through any other means;
- (d) provide real-time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clauses (a) to (c);
- (e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one or more satellites, without routing the user traffic through satellite earth station gateway; and
- (f) provide any information of and conduct tests for interference monitoring, and to take necessary steps, as directed by the Central Government, for its mitigation.

56. Security conditions.—(1) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway, user terminals connected with the satellite network of a new authorised entity shall be located in India.

(2) Every new authorised entity shall ensure that the permitted satellite network be used only for providing captive very small aperture terminal services and such satellite network is not used for any unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may prejudice the sovereignty and security of India.

(3) Every new authorised entity shall, at its own cost, make arrangements for provisioning of lawful interception systems and lawful interception monitoring facilities in accordance with the orders, directions or guidelines issued in this regard.

(4) Every new authorised entity shall ensure that domestic traffic, or any part thereof, is not hauled or routed through any place outside India.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, it is clarified that usage of satellites for transmitting and receiving domestic traffic without transiting through any country other than India, shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India.

(5) Every new authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite network within India, as per the directions of the Central Government, and on receiving directions by the Central Government, shall provide details relating to the identity and location of such user terminals.

(6) Every new authorised entity shall—

- (a) ensure that no location spoofing tool, whether hardware or software, be incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals; and
- (b) deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms for identification and reporting of any such device in its telecommunication network.

(7) Every new authorised entity shall ensure that the captive very small aperture terminal services to any user terminal, in idle mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the restricted areas referred to in sub-rule (2) of rule 24.

(8) Every new authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines that the Central Government may issue in respect of provision of positioning services through Indian regional navigation satellite system in its user terminals.

(9) Every new authorised entity shall seek permission of the Central Government to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India and for seeking such permission it shall provide the following details, namely:—

- (a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and
- (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India.

(10) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (9), grant permission subject to the following conditions, namely:—

- (a) every new authorised entity shall provide remote access only through approved locations within India from approved locations outside India and shall be limited to the purpose as specified under such permission;
- (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages and any other such sensitive data, as the Central Government may specify through orders, directions or guidelines that it may issue in this regard;
- (c) every new authorised entity shall provide suitable technical systems as may be specified on the portal, at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the designated agency to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions that the Central Government may issue in this regard;
- (d) every new authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the designated agency, in accordance with the directions or guidelines that the Central Government may issue in this regard.

PART D

CAPTIVE GENERAL SERVICE AUTHORISATION

57. Applicability of Part D.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds captive general service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds captive general service authorisation.

58. Scope of captive general service authorisation.—(1) The captive general service authorisation consists of authorisation to establish, operate, maintain or expand telecommunication network including wireline and wireless telecommunication networks, by a new authorised entity for captive use.

(2) The scope of this authorisation shall not include such captive telecommunication services for which a separate authorisation is granted under these rules.

59. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.

60. Technical and operating conditions.—Every new authorised entity shall not connect its telecommunication network with public switched telephone network, public land mobile network, internet telephony network or internet network.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

61. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions of authorisation by a new authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act.

(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from the thirty-first day from the date of publishing of such order.

62. Digital implementation.—The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules.

SCHEDULE

PROCESSING FEE, ENTRY FEE, AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR CAPTIVE TELECOMMUNICATION SERVICES

[See rules 6(2)(a), 7(2)(a)(i), 13(1), 40(3), 53(3)]

Sl. No.	Service Authorisation	Processing Fee (in Rs.)	Entry Fee (in Rs.)	Initial Guarantee (in Rs.)
1.	Captive mobile radio trunking service authorisation	10,000	Nil	20,000
2.	Captive non-public network service authorisation	10,000	Nil	Nil
3.	Captive very small aperture terminal service authorisation	10,000	7.5 lakh	3 lakh
4.	Captive general service authorisation	Nil	Nil	Nil

[F. No. 24-08/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.